कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं

07

कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं

कृषि एवं संबद्ध सेवाएं

मुख्य बिन्दु

- फसल क्षेत्र की राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) में भागीदारी वर्ष 2020–21 (अग्रिम) 23,97,597 लाख अनुमानित है।
- फसल बीमा योजनांतर्गत 2019–20 (खरीफ) में **15,64,039** कृषकों का बीमा कराया गया तथा राशि रू. **634.57** करोड़ रू. का दावा भुगतान किया।
- प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 में हरेली के दिन 20.07.2020 को ''गोधन न्याय योजना'' का शुभारंभ किया गया।
- गौठान स्व–सहायता समूहों द्वारा 5,888 क्विंटल वर्मी खाद का उत्पादन किया जा चुका है एवं सहकारी समितियों के माध्यम से 1,540 क्विंटल वर्मी खाद रू. 8 प्रति किलो की दर से किसानों को विक्रय किया जा चुका है।
- बाड़ी कार्यक्रम अंतर्गत राज्य के 2012 ग्राम पंचायतों का चयन कर ग्रामीणों के घरों के पीछे उपलब्ध भूमि पर बाड़ी विकास का कार्यक्रम किया जा रहा है।
- घुरूवा कार्यक्रम अंतर्गत प्रथम चरण में 1,916 ग्राम पंचायतों का चयन कर किसानों के द्वारा स्वप्रेरणा से एवं विभागीय कर्मचारियों के तकनीकी मार्गदर्शन में गांवों में स्थित 1 लाख 82 हजार से अधिक ''घुरूवा'' में ''वेस्ट डिकम्पोजर'' का उपयोग किया है।
- प्रदेश में वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं से (मार्च 2020 तक) 21.21 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है।
- राज्य में वर्तमान में 69 कृषि उपज मंडियाँ एवं 118 उप–मंडियाँ कार्यरत हैं।
- वर्ष 2020–21, माह सितंबर तक 2.91 लाख पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई।
- राज्य में कुल जल क्षेत्र का 94.66% जलक्षेत्र मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है।
- वर्ष 2019–20 में 5,37,889.57 मे. टन मत्स्योत्पादन किया गया जो गत वर्ष की तुलना में 10.08 प्रतिशत अधिक था।

कृषि

7.1 छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है। प्रदेश के 37.46 लाख कृषक परिवारों में से 76 प्रतिशत लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते है वर्तमान में प्रदेश के सभी सिंचाई स्त्रोतों से लगभग 36 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, जिसमें से सर्वाधिक 52 प्रतिशत क्षेत्र जलाशयों/नहरों के माध्यम से सिंचित है एवं 29 प्रतिशत क्षेत्र नलकूप से सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत आते हैं। कृषि अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर है। प्रदेश की लगभग 55 प्रतिशत काश्त भूमि की जलधारण क्षमता कम होने के कारण, बिना सिंचाई साधन के दूसरी फसल लेना संभव नहीं है। राज्य निर्माण के समय, इस प्रदेश में आवश्यक संरचनायें तथा बीज प्रक्रिया केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र, खाद एवं गोदाम आदि का अभाव था, इसलिए राज्य में विभिन्न फसलों की उत्पादकता, अन्य विकसित राज्यों की तुलना में कम थी। राज्य गठन के पश्चात् कृषि विकास के कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा राज्य शासन के कृषकोन्मुखी योजनाओं/कार्यक्रमों के फलस्वरूप कृषि विकास की गति में तेजी आई है एवं किसानों की आर्थिक उन्नति हेतु निरंतर प्रभावी प्रयास किये जा रहे है।

परिणाम स्वरूप प्रदेश को सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन की श्रेणी में राष्ट्रीय "कृषि कर्मण" प्रथम पुरस्कार राशि रू. 5.00 करोड़ से फरवरी, 2020 में सम्मानित किया गया।

7.1.1 सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार :

कृषि विकास में सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में समस्त सिंचाई स्त्रोत से 36% सिंचाई क्षमता है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों को सिंचाई कूप एवं पंप स्थापना हेतु शाकम्भरी योजना प्रारंभ की गई है। इसके अतिरिक्त पूर्व से संचालित लघु सिंचाई नलकूप योजना में देय अनुदान राशि में वृद्धि की गई है। सिंचाई जल के बेहतर उपयोग एवं नगदी फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सूक्ष्म सिंचाई योजना अंतर्गत सभी वर्ग के लघु सीमांत कृषकों को स्प्रिंकलर पर 70 प्रतिशत

तालिका 7.1 फसल उत्पादन (000 मे. टन)

क्र.	फसल	2018 पूर्ति	2019 पूर्ति	वृध्दि/कमी %
खरीफ				
1	धान (चांवल)	6963.89	7755.32	11
2	मक्का	489.48	664.62	36
3	अरहर	60.39	61.43	2
4	मूंग	11.61	7.04	-39
5	उड़द	49.20	49.80	1
6	मूंगफली	71.39	65.10	-9
7	सोयाबीन	78.52	89.42	14
8	रामतिल	12.47	13.14	5
9	अन्य	0.00	0.00	0
क्र.	फसल	2018–19 पूर्ति	2019–20 अनुपूर्ति	वृध्दि/कमी %
रबी				
1	ग्रीष्म धान (चांवल)	594.68	517.02	-13
2	मक्का	216.09	275.22	27
3	गेहूं	278.12	319.91	15
4	चना	385.26	455.60	18
5	मटर	14.53	23.93	65
6	तिवड़ा	128.43	154.21	20
7	राई–सरसों	57.60	70.24	22
8	अलसी	10.15	14.78	46
9	गन्ना	180.59	193.20	7

स्त्रोतः– संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़

(33 प्रतिशत केन्द्रांश + 37 प्रतिशत राज्यांश) अनुदान दिया जा रहा है, अन्य किसानों को 50 प्रतिशत (27 प्रतिशत केन्द्रांश + 23 प्रतिशत राज्यांश) अनुदान दिया जा रहा है। सिंचित क्षेत्र के विस्तार हेतु संचालित योजनाओं की उपलब्धियां :–

तालिका 7.2 सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना प्रगति

क्र.	विवरण		2019–20 पूर्ति	2020–21 लक्ष्य		2020–21 पूर्ति	
				संख्या	सिंचाई क्षमता (हे.)	संख्या	सिंचाई क्षमता (हे.)
1	किसान समृद्धि योजना/लघु सिंचाई (नलकूप) योजना		1322	1416	3400	323	475
2	लघुत्तम सिंचाई (तालाब) योजना		60	100	2500	87(निर्माणाधीन)	2175
3	हरित क्रांति विस्तार योजनान्तर्गत निर्मित	तालाब	2	2	-	-	-
		चेकडेम	80	65	-	-	-
4	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	चेकडेम	57	-	-	-	-
5	टारगेटिंग राईस फेलो एरिया	चेकडेम	57	27	-	-	-
6	शाकम्भरी योजना	कूप	63	105	52.50	-	-
		पंप	7187	692	693	10472	10472

7.1.2 लघुत्तम सिंचाई :–कृषि विभाग द्वारा लघुत्तम सिंचाई तालाब योजनांतर्गत शासकीय भूमि में शत्–प्रतिशत शासकीय व्यय पर 40 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता के तालाब निर्मित किये जाते हैं। वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में किये गये कार्यो की जानकारी निम्नानुसार है :–

तालिका 7.3 लघुत्तम सिंचाई राशि लाख में

क्र.	वर्ष	भौतिक पूर्ति	व्यय
1	2019–20	60	2491.77
2	2019–20 (सित. 2020 तक)	87 निर्माणाधीन	765.55
	योग	60पूर्ण, 87 निर्माणाधीन	3257.32

7.2 छत्तीसगढ़ राज्य में फसल क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान महत्वपूर्ण रहा जो निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 7.4 फसल क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान (स्थिर भाव 2011–12)

सांख्यिकी	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19(P)	2019-20(Q)	2020-21(A)
भागीदारी (लाख)	2045885	1978955	2454184	1994483	2265037	2291605	2397597
वृद्धि (प्रतिशत)	3.19	-3.27	24.01	-18.73	13.57	1.17	4.63
हिस्सा (प्रतिशत)	11.68	10.99	12.61	9.97	10.38	10.00	10.63

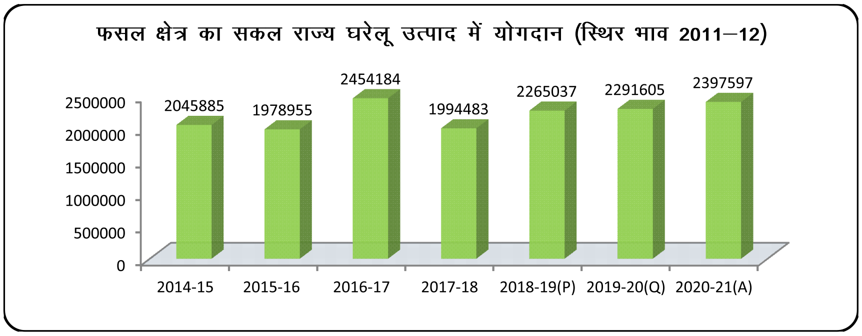

7.3 आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण :–प्रदेश में किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त, अधिक उत्पादन देने वाले प्रमाणित बीज की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य शासन द्वारा विशेष प्रयास किये गये हैं। प्रमाणित बीज का उपयोग कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि का प्रमुख आधार है। राज्य पोषित/केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण पर रू. 500 से लेकर 2,500 तक अनुदान देने का प्रावधान है।

तालिका 7.5**आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण**

क्र.	विवरण	इकाई	2019–20 पूर्ति	2020–21 पूर्ति	% वृद्धि
1	**बीज उत्पादन कार्यक्रम**				
	खरीफ	हेक्टेयर	27082.45	31206.32	15
	रबी		17026.22	18510.00	9
	योग (खरीफ+रबी)		**44108.67**	**49716.32**	**13**
2	**प्रमाणित बीज उत्पादन**				
	खरीफ	क्विं.	950000	1100000	16
	रबी		180000	220000 प्रस्तावित	22
	योग (खरीफ+रबी)		**1130000**	**1320000**	**17**
3	**प्रमाणित बीज वितरण**				
	खरीफ	क्विं.	840710	909345	8
	रबी		213541	286340 प्रस्तावित	34
	योग (खरीफ+रबी)		**1054251**	**1195685**	**13**

7.4 उर्वरक एवं जैविक खाद वितरण :– कृषि में फसल उत्पादन एवं उर्वरक क्षमता हेतु आदान–प्रदान सामग्री के रूप में मुख्यतः रासायनिक उर्वरक एवं जैव उर्वरक की आवश्यकता होती है। विगत् दो वर्षों में उर्वरक एवं जैव उर्वरक वितरण की प्रगति निम्नानुसार है :–

तालिका 7.6 उर्वरक वितरण

वर्ष	उर्वरक वितरण (तत्व रूप में) (000 मे.टन)				प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत (कि.ग्रा. में)			
	नत्रजन	स्फुर	पोटाश	योग	नत्रजन	स्फुर	पोटाश	योग
वर्ष 2018-19								
खरीफ पूर्ति	222880	126572	39886	389338	46	26	8	80
रबी पूर्ति	89643	51105	23433	164181	56	32	15	103
योग (खरीफ+रबी)	**312523**	**177677**	**63319**	**553519**	**49**	**28**	**10**	**87**
वर्ष 2019-20								
खरीफ पूर्ति	253339	140457	41917	435713	53	29	9	91
रबी पूर्ति	147904	69241	24657	241802	82	38	14	134
योग (खरीफ+रबी)	**401243**	**209698**	**66574**	**677515**	**60**	**39**	**13**	**112**
2020-21 प्रस्तावित								
खरीफ लक्ष्य	292700	188900	62600	544200	60	29	13	102
रबी लक्ष्य	108800	55600	23600	188000	58	30	12	100
योग (खरीफ+रबी)	**401500**	**244500**	**86200**	**732200**	**59**	**36**	**12**	**107**

7.5 प्रधानमंत्री स्वायल हेल्थ कार्ड वितरण योजना :—

- भारत सरकार द्वारा स्वायल हेल्थ कार्ड योजना का शुभारंभ 19 फरवरी 2015 को किया गया है, जिसके तहत वर्ष 2019—20 में प्रत्येक विकासखंड में एक मॉडल (पायलट) ग्राम का चयन कर स्वायल हेल्थ कार्ड योजना का क्रियान्वयन कर राज्य के 146 विकासखंड के कुल 146 मॉडल ग्राम का चयन कर नमूना संग्रहण व विश्लेषण पश्चात स्वायल हेल्थ कार्ड वितरण किया जाकर इन्ही मॉडल ग्रामों में स्वायल हेल्थ कार्ड के अनुशंसा के आधार पर सूक्ष्म पोषक तत्व, जैव उर्वरक, मृदा सुधारक आदि के प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। वर्ष 2019—20 में कुल 59,302 नमूना संग्रहण—विश्लेषण व स्वायल हेल्थ कार्ड वितरण लक्ष्य के विरूद्ध 59,302 (100%) मृदा नमूनो का संग्रहण व विश्लेषण पश्चात 65,341 (107%) स्वायल हेल्थ कार्ड कृषकों को वितरण किया गया है।
- वर्ष 2020—21 में राज्य के 3,125 ग्रामों का चयन कर स्वायल हेल्थ कार्ड योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत 3,125 प्रदर्शन लक्ष्य के विरूद्ध 1,202 प्रदर्शन आयोजन खरीफ में किया जा चुका है, शेष की पूर्ति रबी मौसम में की जा रही है।

  कोविड—19 के कारण योजनान्तर्गत प्रशिक्षण आयोजन नही किया जा सका है।

7.6 राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा :—राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2014 से **राज्य पोषित जैविक खेती मिशन** एवं वर्ष 2016 से **केन्द्र प्रवर्तित परंपरागत कृषि विकास योजना** संचालित है। पूर्व में योजनाओं का क्रियान्वयन 05 जिलों में शुरू किया गया। वर्तमान में इन योजनाओं का विस्तार समस्त जिलों में करते हुए 05 जिले गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर को पूर्ण जैविक जिला एवं शेष 22 जिलों के एक—एक विकासखंड को पूर्ण जैविक बनाने हेतु कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जैविक खेती मिशन अंतर्गत वर्ष 2019—20 में 10,990 एकड़ एवं परंपरागत कृषि विकास योजना में 50,000 एकड़ में फसल प्रदर्शन का आयोजन किया गया। वर्ष 2020—21 में जैविक खेती मिशन का 7,290 एकड़ में तथा परम्परागत कृषि विकास योजना का 50,000 एकड़ में क्रियान्वयन कर कुल 57,290 एकड़ क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

- **जैविक फसलें**— राज्य में धान की सुगंधित किस्में—बासमती, बादशाहभोग, दुबराज, पुसा सुगंध, जवाफूल, मोतीचुर, जीराफूल, तुलसी—मंजरी, काली कमोद, लोक्टीमांछी, कालीगिलास, तिलकस्तुरी (Green Rice), मक्का एवं लघु धान्य फसलें—कोदो—कुटकी, रागी, सांवा, कोसरा आदि एवं दलहन—तिलहन फसलें—अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल की जैविक खेती की जा रही है।
- **FPO के गठन**— जिलों में FPO के गठन को प्रोत्साहित किया जाकर जैविक उत्पादों का विपणन किया जा रहा है।
- **राज्य में जैविक ब्राण्ड**—राज्य के विभिन्न जिलों में जैविक उत्पादों का ब्रांडिंग किया जाकर विपणन किया जा रहा है।

चांग्रो राईस, जिला—बलरामपुर	**आदिम ब्रांड, पंचतत्व**, जिला—दंतेवाड़ा
बांसाझाल राईस, महामाया, जिला—सरगुजा	**बस्तर नेचुरल**, जिला—बस्तर,
मैकल्स नेचर, जिला—कबीरधाम	**केलोब्रांड**, जिला—रायगढ,
आगर जैव उत्पाद, जिला—मुंगेली	**शिवनाथ आर्गेनिक,** जिला—दुर्ग
आरूग जैविक, जिला—राजनांदगांव	**रायपुर आर्गेनिक्स,** जिला—रायपुर
रूद्र आर्गेनिक, जिला— धमतरी	**बालोद आग्रेनिक,** जिला— बालोद
पंचतत्व, जिला —कोंडागांव	**जशपुर एग्रोफेश,** जिला—जशपुर

7.7 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना :— भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015—16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का संचालन किया जा रहा है। वर्षा जल संग्रहण, संचयन, सिंचाई स्त्रोतों के विकास, भू—जलवर्धन तथा उपलब्ध जल के दक्षतापूर्ण उपयोग की महत्वपूर्ण योजना है। योजनांतर्गत पांच वर्षो के लिए कुल राशि रू. 54,931.71 करोड़ की परियोजना स्वीकृत है जिससे प्रदेश का 25,94,284 हेक्टेयर अतिरिक्त रकबा सिंचित किया जाना प्रस्तावित है। विगत तीन वर्षो में योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत किये गये कार्यो की जानकारी निम्नानुसार है :—

- **PMKSY-PER DROP MORE CROP (MICRO IRRIGATION)** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनांतर्गत जल के प्रत्येक बूंद से अधिक फसल लेने के उद्देश्य से स्प्रिंकलर / ड्रिप (टपक सिंचाई) सिंचाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

तालिका 7.7 प्रत्येक बूंद से अधिक फसल

वर्ष	इकाई	भौतिक लक्ष्य हे.	भौतिक पूर्ति हे.	वित्तीय लक्ष्य (राशि रू. लाख में)	व्यय राशि (रू. लाख)	सिंचित क्षेत्र हे.
2018-19	हेक्टेयर	29580	18929.67	11100.21	2294.06	18929.67
2019-20		55000	27688.28	12324.10	6072.91	27688.28
2020-21		44528	2837.82	11559.62	5160.13	2837.82

- **PMKSY-(Per Drop More Crop-Other Intervention & IWMP)** कम सिंचाई संसाधन वाले क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं संवर्धन के विभिन्न कार्यो जैसे—चेकडेम, परकोलेशन टैंक, फार्म पौण्ड / डबरी, कुंआ एवं अन्य संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। वर्ष 2018—19 एवं 2019—20 में किये गये कार्यो की जानकारी निम्नानुसार है :—

तालिका 7.8 पीएमकेएसवाय

वर्ष	इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक पूर्ति	वित्तीय लक्ष्य	व्यय राशि (लाख रू.)	सिंचित क्षेत्र
2018-19	संख्या	5656	1681	21470.90	10455.00	8904
2019-20		3216	1801	16302.76	14736.00	2941

7.8 रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट (RAD):—नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (NMSA) के घटक रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट (RAD) का क्रियान्वयन वर्ष 2014—15 से भारत सरकार द्वारा जारी

दिशा–निर्देश के अनुरूप किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल पद्धति के माध्यम से कृषि को उत्पादकता वर्धक, टिकाऊ, लाभकारी एवं जलवायु के अनुकूल बनाना है। योजनांतर्गत वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 में किये गये कार्यो की जानकारी निम्नानुसार है :–

तालिका 7.9 रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट

क्र.	वर्ष	भौतिक पूर्ति हे.	व्यय राशि लाख में
1	2018–19	4149.95	883.16
2	2019–20	1197.43	751.76
3	2020–21 (सित. 2020 तक)	4970.80	1000.00

7.9 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना :– प्रदेश में कृषकों की फसलों के बीमा हेतु खरीफ वर्ष 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई जिसमें क्षतिपूर्ति हेतु पात्रता के मापदण्ड निम्नानुसार है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत क्षतिपूर्ति की पात्रता के मापदण्ड

- बुआई नहीं हो पाने की स्थिति/बुआई का फेल हो जाना।
- फसल की अवधि में नुकसान होने की स्थिति में।
- स्थानीय आपदाओं के मामले में क्षति की स्थिति में।
- फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में।
- फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति की स्थिति में।

प्रदेश में कृषकों के फसलों के बीमा हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2016 से संचालित की गई, विगत तीन वर्षों की प्रगति निम्नानुसार है–

तालिका 7.10 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

क्र.	मौसम	बीमित कृषक संख्या			कुल प्रीमियम (करोड़ रू.)	दावा भुगतान	
		ऋणी कृषक	अऋणी कृषक	योग		कृषक संख्या	राशि (करोड़ रू.)
1	खरीफ 2017	1120756	177880	1298636	270.34	566450	1299.83
2	रबी 2017–18	119314	45773	165087	63.80	80320	75.16
	योग	**1240070**	**223653**	**1463723**	**334.14**	**646770**	**1374.99**
3	खरीफ 2018	1170319	193159	1363478	787.25	589008	1015.12
4	रबी 2018–19	136142	54088	190230	68.51	64680	55.42
	योग	**1306461**	**247247**	**1553708**	**855.76**	**653688**	**1070.54**
5	खरीफ 2019	1384643	179396	1564039	1174.48	456972	634.57
6	रबी 2019–20	134960	33202	168162	58.46	125388	584.85
	योग	**1519603**	**212598**	**1732201**	**1232.94**	**582360**	**1219.42**

7.10 कृषि यांत्रिकीकरण :– विभिन्न कृषि कार्यो के सुगमतापूर्वक एवं उचित समय पर पूर्ण कर उत्पादन में वृद्धि तथा प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों को किराये पर उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के साथ ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना/फार्म मशीनरी बैंक की योजना संचालित की जा रही है जिसके तहत कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना हेतु रू. 10.00 लाख तक वित्तीय सहायता दी जाती है। राज्य में अब तक 2,266 कृषि यंत्र सेवा केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है।

तालिका 7.11 कृषि अभियांत्रिकी अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की भौतिक/वित्तीय प्रगति

क्र.	गतिविधियां	इकाई	वर्ष 2019–20				वर्ष 2020–21 (अक्टूबर 2020 तक)			
			भौतिक		वित्तीय (लाख में)		भौतिक		वित्तीय (लाख में)	
			लक्ष्य	पूर्ति	आबंटन	व्यय	लक्ष्य	पूर्ति	आबंटन	व्यय
1	कस्टम हायरिंग योजना									
	(क) डोंजिग कार्य	घंटे	17600	4886	224.00	196.32	13600	1426	185.00	69.43
	(ख) कल्टीवेशन कार्य	घंटे	20500	13289			20500	5904		
2	**सबमिशन ऑन एग्रीकल्वर मेकेनाईजेशन**									
	1. ट्रेक्टर	संख्या	260	105	1492.42	1271.79	505	113	1343.38	548.18
	2. पावर टिलर/पैडी ट्रांसप्लांटर/स्व चलित रीपर	संख्या	641	116			698	35		
	3. शक्ति चलित यंत्र	संख्या	1962	870			2317	273		
	4. हस्त चलित/बैल चलित कृषि यंत्रों का विवरण	संख्या	5000	21692			9154	310		
3	फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना कंपों.–4 (8961)	संख्या	697	611	4152.47	3716.00	378	24	674.00	30.00
4	कृषि यांत्रिकीकरण पर सबमिशन योजनांतर्गत ग्रामीण स्तर पर उत्पादकता वृद्धि हेतु मशीनों का प्रचार–प्रसार घटक क्र.–6	संख्या	27	23	216.00	184.00	106	1	848.00	8.00
5	राज्य पोषित कृषि यंत्र सेवा केन्द्रों की स्थापना (8539)	संख्या	117	109	1000.00	926.75	-	-	0.00	0.00
6	''फसल प्रदर्शन'' योजनांतर्गत पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन से कृषकों के खेत में धान रोपाई पर अनुदान	संख्या	670	641.39	55.71	47.43	333	281.60	24.98	0.00

रिमार्क :–* राज्य पोषित कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना वर्ष 2020–21 में प्रावधानिक राशि रू. 10 करोड़ राज्य शासन द्वारा वापस ली गई।

7.11 कृषि सुधार हेतु विस्तार कार्यक्रम (आत्मा) :– एक्सटेंशन रिफॉर्म्स (आत्मा) योजनान्तर्गत प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक भ्रमण, फसल प्रदर्शन, कृषक समूह एवं खाद्य सुरक्षा समूह का निर्माण, किसान मेला, किसान वैज्ञानिक परिचर्चा एवं किसान गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 की प्रगति निम्नानुसार है :–

तालिका 7.12 कृषि सुधार हेतु विस्तार कार्यक्रम (आत्मा)
संख्या

क्र.	गतिविधि		2019-20 (मार्च 2020)		2020-21 (सितंबर 2020)	
			लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1	कृषक प्रशिक्षण (इकाई –मानव दिवस)	राज्य के बाहर	7300	843	7300	0
		राज्य एवं जिले के अंदर	91300	52864	88800	2062
2	प्रदर्शन	कृषि	16060	29016	17958	22712
		समवर्गी	4380	1544	5840	1229
3	शैक्षणिक भ्रमण (इकाई– मानव दिवस)	राज्य के बाहर	5840	624	5840	0
		राज्य एवं जिलें के अंदर	37960	27942	37960	2930
4	एफआईजी/सीआईजी		292	216	292	101
5	किसान मेला/प्रदर्शनी		27	14	27	5
6	कृषक–वैज्ञानिक परिचर्चा		54	40	54	21
7	फिल्ड डे/किसान गोष्ठी		292	195	292	18
8	फार्म स्कूल		438	278	438	77

7.12 छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी एला बचाना हे संगवारी

जल संरक्षण, पशु संवर्धन, मृदा स्वास्थ्य एवं पोषण प्रबंधन की कार्यवाही को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परम्परा से जोड़ते हुए तथा आम जन के सहयोग से सफल बनाने ''सुराजी गांव योजना'' के माध्यम से नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी संरक्षण एवं संवर्धन का अभियान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रारंभ किया गया है।

राज्य सरकार के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का विभिन्न विभागों जैसे कृषि, जल संसाधन, वन, राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सहकारिता, ऊर्जा, उद्यानिकी, पशु चिकित्सा आदि की सामूहिक भागीदारी से तथा इन विभागों के अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर केन्द्रित कर अभिशरण करते हुए क्रियान्वयन जारी है।

- नरवा कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में उपलब्ध जल स्त्रोतों का संरक्षण करने से ग्रामीण अंचलों में जल उपलब्धता सुनिश्चित होगी व पशु पक्षियों का जीवन भी सुरक्षित होगा। इससे भू–जल स्तर में भी सुधार होगा प्रथम चरण में राज्य के समस्त जिलों के कुल 550 नालों का चयन कर विभिन्न छोटे–छोटे संरचना जैसे गली प्लग, ब्रशवुड डेम, चेकडेम, लूज बोल्डर चेकडेम आदि का निर्माण किया जा रहा है।

- गरूवा कार्यक्रम अंतर्गत 1903 ग्राम पंचायतों का चयन कर गौठान निर्माण कार्य एवं चारागाह विकास हेतु गतिविधियां संचालित की जा रही है। प्रत्येक विकासखंड में एक मॉडल गौठान का निर्माण किया जा रहा है। गौठानों में पशुधन के लिये चारा व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, सोलर पंप, फेंसिंग/सीपीटी, वृक्षारोपण आदि कार्य किये जा रहे है। साथ ही पशुओं से प्राप्त होने वाले गोबर के प्रबंधन हेतु वर्मी टांका, नाडेप टांका, बायोगैस संयत्र आदि का भी निर्माण किया

जा रहा है। गौठान संचालन हेतु महिला स्व सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, इससे पशुधन के उचित रखरखाव के साथ–साथ फसल सुरक्षा व द्विफसलीय क्षेत्र विस्तार संभव हो सकेगा।

- घुरूवा कार्यक्रम अंतर्गत प्रथम चरण में 1916 ग्राम पंचायतों का चयन कर किसानों के द्वारा स्वप्रेरणा से एवं विभागीय कर्मचारियों के तकनीकी मार्गदर्शन में गांवों में स्थित 1 लाख 82 हजार से अधिक ''घुरूवा'' में ''वेस्ट डिकम्पोजर'' का उपयोग किया है, जिससे गुणवत्तायुक्त कम्पोस्ट खाद अपेक्षाकृत कम अवधि में तैयार हुई है। घुरूवा उन्नयन की यह कार्यवाही पुनः प्रारंभ करते हुए और भी अधिक संख्या में आम जन को इससे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न विभागीय योजनाओं से तथा कृषकों द्वारा स्वप्रेरणा से 48,289 भू–नाडेप, 4,464 नाडेप टांके, 3,167 वर्मी टांके, 9,592 वर्मी बेड एवं 395 नये बायोगैस संयंत्र निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। लगभग 3,13,974 मे.टन जैविक खाद का निर्माण हुआ, जिसका उपयोग कृषकों द्वारा अपने खेतों में किया गया। इससे मृदा में कार्बनिक पदार्थ, उर्वरता, जलधारण क्षमता व उत्पादकता में वृद्धि होगी। साथ ही काश्त लागत में कमी आयेगी एवं किसानों का पशुपालन की ओर आकर्षण बढ़ेगा।

- बाड़ी कार्यक्रम अंतर्गत राज्य के 2012 ग्राम पंचायतों का चयन कर ग्रामीणों की घरों के पीछे उपलब्ध भूमि पर बाड़ी विकास का कार्यक्रम किया जा रहा है। इन बाड़ियों में विभिन्न विभागों की योजनाओं के अभिशरण से भूमि समतलीकरण, सूक्ष्म सिंचाई, साग–सब्जी व फल उत्पादन आदि कार्य किये जा रहे है। इससे किसानों को न केवल अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होगी अपितु उचित पोषण भी प्राप्त होगा।

शासन की इस पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का प्रयास किया जा रहा है। पंद्रहवें वित्त आयोग के अधिकारियों द्वारा भी इस कार्यक्रम का अवलोकन किया गया है। ग्रामीण अंचल में पारम्परिक घुरूवा के तकनीकी प्रबंधन से स्वच्छता मिशन को भी बढ़ावा मिलेगा। जनभागीदारी से चलाया जा रहा यह अभियान संपूर्ण देश में प्रसिद्धि पा रहा है।

तालिका 7.13 ''घुरूवा'' कार्यक्रम की प्रगति (दिनांक 09.11.2020 की स्थिति में)

कार्य का प्रकार	स्वीकृत	पूर्ण
भू–नाडेप	71333	54719
नाडेप टांका	32794	2321
वर्मी टांका	42747	13326
वर्मी बेड	11722	2757
बायोगैस	4558	70
स्वप्रेरित घुरूवा उन्नयन	266737	215938
योग	**429891**	**289131**

तालिका 7.14 उत्पादित जैविक खाद की मात्रा (टन)		
उत्पादित जैविक खाद की मात्रा (टन)	स्वयं के भूमि में उपयोग	विक्रय की गई मात्रा
251463	131295	1354

7.13 गोधन न्याय योजना :–

जल संरक्षण, पशु संवर्धन, मृदा स्वास्थ्य एवं पोषण प्रबंधन की कार्यवाही को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा से जोड़ते हुए तथा आम जन के सहयोग से सफल करने ''सुराजी गांव योजना'' के माध्यम से नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी संरक्षण एवं संवर्धन का अभियान प्रारंभ किया है। सांस्कृतिक परंपरा से परिपूर्ण इस कार्यक्रम को सरकार ने अपनाते हुए इसको एक अभियान के रूप में लिया है।

प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 में हरेली के दिन 20.07.2020 को **''गोधन न्याय योजना''** का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत सुराजी गांव में स्थापित गौठानों के माध्यम से गौठान समितियों द्वारा रू. 2 प्रति किलो की दर से अद्यतन 28.52 लाख क्विंटल गोबर 1.35 लाख पशुपालकों से क्रय कर गौठान स्व–सहायता समूहों द्वारा 5,888 क्विंटल वर्मी खाद का उत्पादन किया जा चुका है एवं सहकारी समितियों के माध्यम से 1,540 क्विंटल वर्मी खाद रू. 8 प्रति किलो की दर से किसानों को विक्रय किया जा चुका है।

कृषि विपणन

7.14 कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन में कृषि उपज मंडियों का विशेष योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 69 कृषि उपज मंडियां एवं 118 उपमंडियां कार्यरत हैं। मंडी समितियों का मुख्य उद्देश्य कृषकों को शोषण से बचाना, समयावधि में उनको उपज का उचित मूल्य दिलाना एवं विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

तालिका 7.15 कृषि उपज मण्डियों में आवक, आय

विवरण	इकाई	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21 (सितं.)
आवक	टन	8581824	9938893	9239735	10690016	11586725	2008136
आय	लाख रू.	39520.15	26780.70	32535.33	17045.20	49477.19	20920.71

7.14.1 मंडियों में आवक:– राज्य में मंडियों में वर्ष 2018–2019 में 1,06,90,016 टन की आवक हुई जबकि वर्ष 2019–20 में 1,15,86,725 टन की आवक हुई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 8,96,709 टन अधिक है। इसी प्रकार मंडियों में वर्ष 2019–2020 (माह अप्रैल से सितम्बर तक) में 16,82,095 टन की आवक हुई, जबकि वर्ष 2020–21 (माह अप्रैल से सितम्बर तक) में 20,08,136 टन की आवक हुई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 3,26,041 टन अधिक है।

7.14.2 मंडियों की आय:– छत्तीसगढ़ राज्य में मंडियों में वर्ष 2018–2019 में 17,045.20 लाख रूपये की आय हुई थी जबकि वर्ष 2019–20 में 49,477.19 लाख रूपये की आय हुई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 32,431.99 लाख रूपये अधिक थी। इसी प्रकार मंडियों में वर्ष 2019–2020 (माह अप्रैल से सितम्बर तक) में 21,275.68 लाख रूपये की आय हुई थी जबकि वर्ष 2020–21 (माह अप्रैल से सितम्बर तक) में 20,920.71 लाख रूपये की आय हुई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 354 लाख रूपये कम है।

7.14.3 राष्ट्रीय कृषि बाजार :– माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा देश के चयनित 585 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ राज्य के 14 नियमित कृषि उपज मंडियां राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने हेतु चिन्हांकित की गयी है। प्रथम चरण की मंडियों को दिनांक 19.10.2016 से राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल से जोड़ा गया है तथा द्वितीय एवं तृतीय चरण की मंडियों को दिनांक 08.04.2017 से राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल से जोड़ा गया है।

प्रथम चरण :– राजनांदगांव, कवर्धा, भाटापारा, कुरूद, नवापारा

द्वितीय चरण:– रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, जगदलपुर

राजिम, बालोद, मुंगेली, रायगढ़

उपरोक्त मंडियों में राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल पर चिन्हांकित कृषि उपजों का ऑनलाईन क्रय–विक्रय प्रारंभ हो गया है।

राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल की दिनांक 19.10.2016 से 04.11.2020 तक की प्रगति की जानकारी निम्नानुसार है :–

कुल ई–ट्रेड (मात्रा क्विंटल में)	कुल कीमत (करोड़ रू. में)	पंजीकृत कृषक संख्या	पंजीकृत व्यापारी संख्या	व्यापारी सहभागिता
58,52,349.46	1190.08	1,35,095	3,065	1,115

7.14.4 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला :– प्रदेश की 11 मंडियां क्रमशः बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, सक्ती (जांजगीर–चांपा), रायगढ़, रामानुजगंज (बलरामपुर), रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, दुर्ग एवं बिलासपुर में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला तथा 111 मिनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना एवं संचालन हेतु वित्तीय सहायता मंडी बोर्ड/मंडी समिति द्वारा दी गयी है। मंडियों में स्थापित मिट्टी परीक्षण की कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है।

7.14.5 एगमार्कनेट पोर्टल :–विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, भारत सरकार द्वारा MRIN (Marketing Reserch and Information Network) योजनांतर्गत मंडी/उपमंडियों को कम्पयूटर उलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप एगमार्कनेट के पोर्टल पर माह अगस्त 2006 से छ.ग. प्रदेश की 69 कृषि उपज मंडी एवं 118 उपमंडियों की दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी एगमार्कनेट के पोर्टल पर नियमित रूप से प्रेषित की जा रही है।

- **एग्रीमंडी सॉफ्टवेयर** :– छ0ग0 राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) के माध्यम से विभागीय साफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन विभागीय वेबसाईट www.agriportal.cg.nic.in में किया जा सकता है। एग्री मंडी सॉफ्टवेयर (मंडी–आनलाईन) में प्रदेश के कृषि उपज मंडियों की दैनिक आवक एवं भाव, मासिक जानकारी तथा अन्य जानकारियां नियमित रूप से इंद्राज की जा रही है।

7.14.6 मोबाईल एपः–मोबाईल एपः– मंडी एंड्राईड मोबाईल एप तैयार की गई है, जो कि वेबसाईट www.agriportal.cg.nic.in में उपलब्ध है, जिसे एंड्राईड मोबाईल में डाउनलोड कर प्रदेश के कृषि उपज मंडियों की दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

7.14.7 फल–सब्जी मंडी:– प्रदेश में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, पंखाजूर एवं रायगढ़ फल–सब्जी के विपणन हेतु सुविधायुक्त फल–सब्जी मंडियों की स्थापना की गई है। फल–सब्जी मंडी प्रांगण में उद्यानिकी फसलों के विपणन हेतु कव्हर्ड शेड, चबूतरे, दुकानें, इत्यादि उपलब्ध हैं। बिलासपुर, रायगढ़ राजनांदगांव तथा दुर्ग फल–सब्जी मंडी का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है।

7.14.8 गौ सेवा आयोग अनुदान :– गौ शालाओं तथा वृद्ध पशुओं की देखभाल हेतु गौ सेवा आयोग को मंडी बोर्ड द्वारा अपनी सकल आय का 5 प्रतिशत की दर से वर्ष 2005 से वर्ष 2015–16 (दिनांक 07

मई 2015 तक), वर्ष 2015–16 (दिनांक 08 मई 2015) से वर्ष 2017–18 (दिनांक 14.01.2018 तक) में 10 प्रतिशत की दर से तथा वर्ष 2017–18 (दिनांक 15.01.2018 से अद्यतन) 20 प्रतिशत की दर से अनुदान दिया जा रहा है। गौ सेवा आयोग को वर्तमान तक 125.35 करोड़ अनुदान दिया गया है।

7.14.9 बीज उत्पादन एवं वितरण अनुदान:– मंडी बोर्ड द्वारा छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को वर्ष 2014–15 से वर्ष 2020–21 (अद्यतन) बीज उत्पादन तथा वितरण अनुदान 87.10 करोड़ प्रदाय किया गया है।

7.14.10 हाट बाजार निर्माण (135 कार्य स्वीकृत, लागत रू. 7052.16 लाख):–ग्रामीण अंचल में कृषि उपज के विपणन हेतु हाट बाजारों में सुविधा विकसित करने हेतु 36 हाट बाजारों को रूपये 5.35 करोड़ व्यय कर निर्माण कार्य किया गया तथा 120 हाट बाजारों, लागत राशि रूपये 63.89 करोड़ लागत का निर्माण कार्य माह दिसम्बर 2020 तक पूर्ण किया जाकर लघु सीमांत कृशको को उनकी उपजों का सही मूल्य प्राप्त होने के दृश्टिकोण से विकसित किया जा रहा है तथा 15 हाट बाजारों, लागत राशि रूपये 6.62 करोड़ की निविदा जारी की जा चुकी है, जिसे जून 2021 तक पूर्ण किया जाना है।

7.14.11 किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण :– किसानों और उपभोक्ताओं के मध्य सीधा संपर्क स्थापित करने, बिचौलिया तंत्र को समाप्त करने, किसानों को उनके उत्पाद का बिना किसी कटौती के उचित मूल्य दिलाने, उपभोक्ताओं को उचित दर पर ताजी फल एवं सब्जियां प्रदाय करने और किसानों के लिए तकनीकी सूचना प्रचार–प्रसार केन्द्र स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 09 किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण अधिसूचित किया गया है।

किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण रायपुर (पुराना एवं नया मंडी प्रांगण) दिनांक 15.11.2019 को लोकार्पण हो चुका है, जिसमें से नया मण्डी प्रांगण में क्रय–विक्रय प्रारंभ हो गया है। इसके साथ ही किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण धमतरी में दिनांक 19.04.2017, राजनांदगांव में दिनांक 19.01.2020, बेमेतरा में दिनांक 28.03.2020 से क्रय–विक्रय प्रारंभ हो चुका है। किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण बैकुण्ठपुर में अधोसंरचनाएं/सुविधायें विकसित करने की कार्यवाही प्रगतिरत हैं। शेष 03 किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण क्रमशः बिलासपुर, बरमकेला, चिखली (रायगढ़) का लोकार्पण किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

7.14.12 थोक फल–सब्जी मंडी पत्थलगांव :– कृषि उपज मंडी समिति पत्थलगांव जिला जशपुर में फल–सब्जी मंडी की स्थापना हेतु राशि रू. 999.15 लाख से कुल 23 कार्यो की स्वीकृति है, जो कि प्रगतिरत हैं, माह मार्च 2021 में पूर्ण होना संभावित हैं। इसी प्रकार कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग की उपमंडी धमधा में फल–सब्जी मंडी स्थापना हेतु राशि रू. 1,101.85 लाख से कुल 20 कार्यो की परियोजना स्वीकृत हैं, जो कि प्रगतिरत हैं, माह अप्रैल 2021 तक पूर्ण होना संभावित है।

7.14.13 माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा :– पुराने मंडी प्रांगण धमतरी में एग्रोटेक मार्केट एवं पुराने मंडी प्रांगण महासमुन्द व्यवसायिक परिसर सह किसान उपभोक्ता बाजार हेतु आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

7.14.14 भण्डारण क्षमता (गोदाम) :—

- प्रदेश की मंडी/उपमंडी प्रांगणों में वर्तमान में कुल 360 नग गोदाम, जिसकी क्षमता 2,47,550 मे.टन है।

- वर्तमान में मंडी समिति की प्राप्त प्रस्तावना अनुसार विभिन्न क्षमताओं के 114 गोदाम, 1,48,000 मे.टन भण्डारण क्षमता तथा आंकलित अनुमानित लागत 6,355.50 लाख की निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं, उपरोक्त गोदामों को माह अक्टूबर 2021 तक पूर्ण किया जाना संभावित है।

- माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना अम्बिकापुर ग्राम केरता एवं लौह पुरूश सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पण्डरिया द्वारा उत्पादित शक्कर के भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण एवं मोलासिस टैंक कार्य कुल लागत 1,099.44 लाख मंडी बोर्ड निधि से स्वीकृत किये गये हैं, जिसके निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

7.14.15 मंडी अधिनियम में संशोधनः—

- **निजी क्षेत्रों में मंडी की स्थापना** :— छ.ग. कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा निजी मंडी प्रांगण/निजी उपमंडी प्रांगण/निजी किसान उपभोक्ता प्रागंण का प्रावधान मंडी अधिनियम की धारा 2, 5 तथा 31 में संशोधन कर तथा नवीन धारा 32 (ख), 33 (क) तथा 34 (क) अन्तः स्थापित कर किया गया। उक्त प्रावधान दिनांक 08 मई 2015 से प्रभावशील है।

- **सीधी खरीदी** :— छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2005 के द्वारा मंडी अधिनियम की धारा 36 तथा 37 में संशोधन किया गया है, उक्त प्रावधान छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 10 फरवरी 2006 से प्रवृत है।

- **निजी किसान उपभोक्ता बाजार** :— छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा निजी मंडी प्रांगण/निजी उपमंडी प्रांगण/निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण का प्रावधान मंडी अधिनियम की धारा 2, 5 तथा 31 में संशोधन कर तथा नवीन धारा 32 (ख), 33 (क) तथा 34 (क) अन्तःस्थापित कर किया गया। उक्त प्रावधान दिनांक 08 मई 2015 से प्रभावशील है।

- **संविदा खेती** :— छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम 2005 के द्वारा मंडी अधिनियम की धारा 2 में संशोधन तथा नई धारा 37 (क) जोड़ी जाकर संविदा खेती के अधीन अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के विनियमन संबंधी प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 03 संविदा खेती का करार किया गया है, जिसमें कलेक्टर कार्यालय में पंजीयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- **ई–ट्रेडिंग** :– राष्ट्रीय कृषि बाजार के अंतर्गत अनुदान हेतु मंडी अधिनियम में एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति, प्रदेश में अधिसूचित कृषि उपज के क्रय–विक्रय पर मंडी शुल्क एक बिन्दु पर लिये जाने और इलेक्ट्रानिक ऑक्सन का प्रावधान किया जा चुका है। ई–ट्रेडिंग हेतु मंडी अधिनियम में संशोधन कर प्रावधान किया गया है जो दिनांक 08 मई 2015 से प्रभावशील है।

- **एकल बिन्दु मंडी शुल्क** :– एकल बिन्दु मंडी शुल्क दिनांक 08 फरवरी 1990 से प्रभावशील है, और धारा 19 के अनुसार राज्य में किसी मंडी में मंडी शुल्क जमा किये जाने के पश्चात् राज्य में एक से अधिक मंडी क्षेत्र में या उसी मंडी क्षेत्र में एक से अधिक बार पुर्नविक्रय पर मंडी फीस देय नहीं है। क्रेता व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता द्वारा अनुज्ञा पत्र संबंधित मंडी में जमा किये जाने पर मंडी शुल्क देय नहीं है।

- **एकल लायसेंस** :– छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम 2005 के द्वारा मंडी अधिनियम में नई धारा 32–क जोड़ी जाकर, एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति का प्रावधान किया गया है। छ0ग0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 30 व्यापारियों को एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में व्यापार करने हेतु एकल लायसेंस जारी किया गया है। इनके द्वारा दिनांक 01.06.2017 से इंटर मंडी ट्रेड प्रारंभ किया जा चुका है।

- **छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2020** :– छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 01.06.2020 से प्रभावशील हो गया है। उक्त संशोधन अनुसार छोटा व्यापारी एक दिन में 10 क्विंटल के स्थान पर 20 क्विंटल अधिसूचित कृशि उपज का स्टाक रख सकता है, इसके अतिरिक्त मंडी समितियों में भारसाधक अधिकारी के साथ–साथ सात से अनधिक व्यक्तियों की भारसाधक समिति की नियुक्ति के भी अधिकार संचालक विपणन को मंडी अधिनियम में दिये गये हैं।

उद्यानिकी एव प्रक्षेत्र वानिकी

7.15 उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी :– छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि करने हेतु उद्यानिकी विभाग द्वारा फल, सब्जी, मसाला, पुश्प एवं औशधीय पौध विकास योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही है। विभाग के अंतर्गत 134 उद्यान रोपणी तथा 02 सब्जी बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र बाना (रायपुर) एवं राजपुर (दुर्ग) हैं।

7.15.1 राज्य पोषित योजनाएँ :–

- **फल विकास कार्यक्रम**– योजनान्तर्गत कृषक द्वारा बैंक ऋण लेने पर आम, पपीता एवं केला के रोपण पर नाबार्ड के मापदंड अनुसार 25 प्रतिशत अनुदान देय है, किन्तु जो कृषक बैंक ऋण नहीं लेना चाहते हैं, उन्हें विभागीय फलोद्यान योजना के अंतर्गत केवल आम पर 25 प्रतिशत अनुदान, नाबार्ड के मापदण्डों पर दिया जाता है। वर्ष 2019–20 में वित्तीय लक्ष्य राशि रू. 410.00 लाख रखा गया एवं राशि रू. 378.29 लाख व्यय हुए। वर्ष 2019–20 में 4,044.20 हेक्टेयर आम पौध रोपण कार्य किया गया एवं वर्ष 2020–21 में योजनान्तर्गत 335.00 लाख प्रावधानित है तथा 2,955 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु आम पौध रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है एवं माह सितम्बर 2020 तक 2655.70 हेक्टेयर क्षेत्र में आम पौध रोपण कार्य किया गया है। इसके साथ ही योजना अंतर्गत बेरोजगार नवयुवकों को 10–10 दिवस का दो चरणों में टाप वर्किंग प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है। प्रशिक्षण उपरांत इन प्रशिक्षार्थियों द्वारा आम, बेर, आंवला के देशी वृक्षों को उन्नतशील किस्मों में टाप वर्किंग कार्य द्वारा परिवर्तन किये जाने पर राशि रू. 10.00 प्रति सफल परिवर्तित वृक्ष पारिश्रमिक दिये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में 1,15,986 एवं वर्ष 2020–21 में अद्यतन 72,408 पौधों को टापवर्किगं उपरान्त उन्नत किस्मों में परिवर्तित किया जा चुका है।

तालिका 7.16 विभिन्न उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता

क्र	फसल का नाम	(रकबा)	उत्पादन (मे.टन)	(रकबा)	उत्पादन (मे.टन)	उत्पादकता 2019–20 (मे. टन प्रति हे.)
		2018-19		2019-20		
1	फल	256776	2542241	258630	2548930	**9.86**
2	सब्जी	491214	6890529	525147	7158909	**13.63**
3	मसाला	93588	659250	55376	354525	**6.40**
4	औषधि एवं सुगंधित फसल	8865	58013	8957	59172	**6.61**
5	पुष्प	14008	74609	13493	76219	**5.65**
	योग	**864451**	**10224642**	**861603**	**10197755**	**11.84**

- **नदी कछार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन योजना** :– नदी कछार/तटीय क्षेत्रों में खेती करने वाले बी.पी.एल. एवं लघु सीमांत कृषकों को लाभान्वित करने की योजना है, जिसमें प्रति हितग्राही न्यूनतम 0.25 हेक्टर एवं अधिकतम 0.40 हेक्टर क्षेत्र हेतु लाभ देने का प्रावधान है। 0.40 हेक्टर क्षेत्र के लिए अनुमानित लागत राशि रू. 9,400.00 पर 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 4700.00 अनुदान की पात्रता होगी। वर्ष 2019–20 में राशि रू. 140.00 लाख एवं भौतिक 1191.49 हेक्टेयर प्रदर्शन का लक्ष्य रखा गया, जिसके विरूद्ध 1,110.49 हेक्टेयर पूर्ति की गई है तथा राशि रू. 139.79 लाख व्यय हुए। वर्ष 2020–21 में राशि रू. 140.00 लाख एवं भौतिक लक्ष्य 1191.49 हेक्टेयर लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरूद्व माह सितम्बर 2020 तक अद्यतन 229.68 हेक्टेयर भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति की जा चुकी है।

- **राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना** :– यह योजना राज्य सरकार द्वारा सामान्य कृषकों को ड्रिप सिंचाई पर अनुदान देने के उद्देश्य से वर्ष 2013–14 से राज्य के संपूर्ण जिलों में लागू की गई है। योजनान्तर्गत अनुमानित लागत का लघु एवं सीमांत कृषकों को 70 प्रतिशत अनुदान एवं बड़े कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। (अधिकतम रकबा 5 हेक्टर) योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में राशि रू. 700.00 लाख एवं भौतिक 777 हेक्टेयर ड्रिप प्रतिष्ठापन के विरूद्ध 383.23 हेक्टेयर की पूर्ति की गई है वित्तीय प्रगति राशि रू. 71.84 लाख रही। वर्ष 2020–21 में भौतिक लक्ष्य 777.00 हेक्टेयर हेतु राशि रूपये 700.00 लाख प्रावधानित है। वर्ष 2020–21 में माह सितम्बर 2020 अंत तक अद्यतन 75.59 हेक्टेयर की पूर्ति कर ली गई है।

- **कम्यूनिटी फेंसिंग योजना** :– उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना वर्ष 2016–17 से लागू की गई है। वर्ष 2019–20 में राशि रू. 520.00 लाख तथा 954.39 हेक्टेयर कम्यूनिटि फेंसिंग के लक्ष्य के विरूद्ध 643.44 हेक्टेयर कार्य राशि रू. 479.53 लाख व्यय कर सम्पादित किया गया। वर्ष 2020–21 में राशि रू. 520.00 लाख वित्तीय तथा भौतिक लक्ष्य 954.39 हेक्टेयर निर्धारित किया गया है, जिसके विरूद्ध माह सितम्बर 2020 तक 139.53 हेक्टेयर की पूर्ति की जा चुकी है।

- **सब्जी फसलों के विविधीकरण हेतु प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम**:– उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना वर्ष 2017–18 से लागू की गई है। योजना अन्तर्गत मिर्च, टमाटर, अरबी एवं फूलगोभी के प्रदर्शन 0.10 हेक्टेयर हेतु शत–प्रतिशत अनुदान दिया जाना प्रावधानित है। वर्ष 2019–20 में वित्तीय लक्ष्य राशि रू. 38.00 लाख एवं भौतिक 1,184 प्रदर्शन का लक्ष्य रखा गया, जिसके विरूद्ध भौतिक लक्ष्य की 1,045 पूर्ति की गई तथा राशि रू. 37.63 लाख व्यय हुए। वर्ष 2020–21 में वित्तीय लक्ष्य 38.00 लाख एवं भौतिक लक्ष्य 1,184 प्रदर्शन निर्धारित किया गया है।

7.15.2 एकीकृत बागवानी मिशन योजना :— एकीकृत बागवानी मिशन योजना उद्यानिकी के संर्वांगीण विकास हेतु फल, पुष्प, सब्जी, जड़े तथा कंद वाली फसलों, मसालें, सुगंधित पौधों, काजू, आम आदि तथा जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु संचालित है। योजनान्तर्गत वर्ष 2019—20 हेतु राशि रू. 14,653.02 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा राशि रू. 14,968.65 लाख (वर्ष 19—20 की कार्ययोजना राशि रू. 10,412.98 लाख एवं 2018—19 के कार्ययोजना (स्पील ओवर) की राशि रू. 4,525.67 लाख कुल राशि रू. 14,968.65 लाख व्यय हुए। वर्ष 2020—21 के लिए राशि रू. 17,818.58 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत हुई है। मुख्य घटकों के अंतर्गत विवरण निम्नानुसार है।

7.15.2.1 रोपण अधोसंरचना एवं विकास :—

- **हाइटेक नर्सरी** :— 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हाइटेक रोपणी की स्थापना हेतु इकाई लागत रु. 100.00 लाख प्रति यूनिट है। सार्वजनिक क्षेत्रों में हाइटेक रोपणी की स्थापना पर शत्—प्रतिशत अनुदान एवं निजी क्षेत्र हेतु राशि रू. 40.00 लाख अनुदान देय है। वर्ष 2019—20 में 01 हाइटेक रोपणी का स्थापना (सार्वजनिक क्षेत्र) की गई। वर्ष 2020—21 में 05 हाइटेक नर्सरी सार्वजनिक क्षेत्र में एवं 01 हाइटेक नर्सरी निजी क्षेत्र में स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

- **लघु नर्सरी** :— 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लघु रोपणी की स्थापना हेतु इकाई लागत रु. 15.00 लाख प्रति यूनिट है। सार्वजनिक क्षेत्र में लघु रोपणी की स्थापना पर शत—प्रतिशत एवं निजी क्षेत्र हेतु राशि रू. 7.50 लाख अनुदान देय है। वर्ष 2019—20 में 01 लघु रोपणी का स्थापना (सार्वजनिक क्षेत्र) एवं 01 लघु नर्सरी की स्थापना (निजी क्षेत्र) की गई है तथा वर्ष 2020—21 में 25 लघु रोपणी का स्थापना (सार्वजनिक क्षेत्र) एवं 04 लघु नर्सरी की स्थापना (निजी क्षेत्र) में स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

- **अपग्रेडिंग नर्सरी इनफ्रास्ट्रक्चर**:— अपग्रेडिंग नर्सरी इनफ्रास्ट्रक्चर स्थापना हेतु इकाई लागत रु. 10.00 लाख प्रति इकाई है। सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापना पर शत्—प्रतिशत अनुदान देय है। वर्ष 2019—20 में 10 अपग्रेडिंग नर्सरी इनफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना (सार्वजनिक क्षेत्र) की गई है तथा वर्ष 2020—21 में 20 अपग्रेडिंग नर्सरी इनफ्रास्ट्रक्चर सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

- **सब्जी एवं मसाला बीजों का उत्पादन** :— ओपन पालिनेटेड क्राप अन्तर्गत सब्जी एवं मसाला बीजों के उत्पादन हेतु इकाई लागत रुपये 0.35 लाख प्रति हेक्टेयर है। सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापना पर शत—प्रतिशत एवं निजी क्षेत्र हेतु 0.1225 लाख अनुदान देय है। वर्ष 2019—20 में सार्वजनिक क्षेत्र में 40 हेक्टेयर सार्वजनिक क्षेत्र अन्तर्गत पूर्ण किया गया तथा वर्ष 2020—21 में सार्वजनिक क्षेत्र में 50 हेक्टेयर एवं निजि क्षेत्र में 26 हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है।

7.15.2.2 फलोद्यान विकास :— योजनान्तर्गत आम, लीची, नींबू, केला, पपीता एवं अन्य फलोद्यान वर्ष 2019—20 में 3,663 हेक्टेयर में स्थापित किये गये तथा वर्ष 2020—21 में 3,660 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा

गया है जिसके विरूद्व माह सितम्बर 2020 तक 1,818.25 हेक्टेयर में क्षेत्र विस्तार कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

7.15.2.3 सब्जी क्षेत्र विस्तार :— योजनान्तर्गत आम, लीची, नींबू, केला, पपीता एवं अन्य फलोद्यान वर्ष 2019—20 में 3,589 हेक्टेयर में स्थापित किये गये तथा वर्ष 2020—21 में 6,690 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है जिसके विरूद्व माह सितम्बर 2020 तक 2,108.01 हेक्टेयर में क्षेत्र विस्तार कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

7.15.2.4 पुष्प विकास योजना :— पुष्प क्षेत्र विस्तार योजना अंतर्गत वर्ष 2019—20 में 1,363 हेक्टेयर क्षेत्र में पुष्प क्षेत्र विस्तार का कार्य किया गया तथा वर्ष 2020—21 में 1,565 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्व माह सितम्बर 2020 तक 691.61 हेक्टेयर में क्षेत्र विस्तार कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

7.15.2.5 मसाला, औषधीय एवं सुगंधित फसल :— योजनान्तर्गतवर्ष 2019—20 में मसाला में 4,573 हेक्टेयर तथा औषधीय एवं सुगंधित फसल में 36 हेक्टेयर क्षेत्र विस्तार कार्य किया गया तथा वर्ष 2020—21 में मसाला में 2,950 हेक्टेयर एवं औषधीय एवं सुगंधित फसल में 100 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है जिसके विरूद्व माह सितम्बर 2020 तक मसाला में 964.50 हेक्टेयर तथा औषधीय एवं सुगंधित फसल में 20 हेक्टेयर क्षेत्र विस्तार कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

7.15.2.6 काजू क्षेत्र विस्तार :— योजनान्तर्गत वर्ष 2019—20 में 1,475 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार कार्य किया गया तथा वर्ष 2020—21 में 958 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है जिसके विरूद्व माह सितम्बर 2020 तक 556.15 हेक्टेयर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

7.15.2.7 सामुदायिक जल संसाधन स्त्रोतों का विकास :— सामुदायिक सिंचाई योजनान्तर्गत वर्ष 2019—20 में 5 टैंक का निर्माण एवं 100 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए गए।

7.16 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना :— प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना हैं, इस योजना का उद्देश्य कम पानी से अधिक—से—अधिक क्षेत्र में सिंचाई करना हैं। इस योजना में लघु एवं सीमांत वर्ग के कृषकों के लिए केन्द्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार का 30 प्रतिशत हिस्से से कुल 70 प्रतिशत तथा बड़े कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा। शेष राशि की व्यवस्था हितग्राही स्वयं के साधन से अथवा बैंक ऋण से करता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2019—20 में हितग्राहियों को 2,683.70 हेक्टेयर में ड्रिप तथा 8,812.84 हेक्टेयर में स्प्रिंकलर प्रतिस्थापित कर लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2020—21 में 5,000 हेक्टेयर में ड्रिप तथा 7,448 हेक्टेयर में स्प्रिंकलर प्रतिस्थापन का लक्ष्य रखा गया है, माह सितम्बर 2020 अंत तक 664.16 हेक्टेयर में ड्रिप तथा 1,195.40 हेक्टेयर में स्प्रिंकलर की पूर्ति कर ली गई है।

7.17 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :— राष्ट्रीय कृषि विकास योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है, उद्यानिकी (कृषि) के समन्वित विकास हेतु योजना संचालित है। वर्ष 2019—20 में योजना क्रियान्वयवन हेतु राशि रू. 3,500.93 लाख के विरूद्ध राशि रू. 2,919.06 लाख व्यय हुए। वर्ष 2019—20 में योजना

अन्तर्गत फलोद्यान कार्यक्रम 341 हेक्टेयर, सब्जी क्षेत्र विस्तार 306 हेक्टेयर, मसाला फसल प्रदर्शन 14 हेक्टेयर, पुष्प 85 हेक्टेयर, सब्जी मिनीकीट संख्या 5,033, सब्जी पौध प्रदर्शन संख्या 112, शेडनेट हाउस ट्यूबलर स्ट्रक्चर निर्माण संख्या 4, प्रिजरवेशन यूनिट संख्या 117 आयोजित हुए। वर्ष 2020–21 में वार्षिक कार्ययोजना राशि रू. 2,541.82 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

7.18 नेशनल मिशन ऑन आइलसीड एवं आइलपाम योजना :– यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना हैं, तथा आईलसीड एवं आईलपाम तथा आलीव्ह को बढ़ावा देने हेतु संचालित है। वर्ष 2019–20 हेतु राशि रू. 379.25 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वर्ष 2019–20 में 201.09 हेक्टेयर क्षेत्र में आइलपाम, 110 हेक्टेयर क्षेत्र में आलीव्ह एवं 86 हेक्टेयर क्षेत्र में महुआ रोपण का कार्य कराया गया जिस हेतु राशि रू. 208.85 लाख व्यय हुए। वर्ष 2020–21 में राशि रू. 381.83 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है, तथा 300 हेक्टेयर क्षेत्र में आइलपाम, 132 हेक्टेयर क्षेत्र में आलीव्ह एवं 200 हेक्टेयर क्षेत्र में महुआ रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

7.19 प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (मौसम आधारित) :– प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसल के संबंध में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए प्रारम्भ हुई है। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई हानि को किसानों के प्रीमियम का भुगतान देकर एक सीमा तक कम करायेगी। वर्ष 2019–20 में 12,869.57 हेक्टेयर प्रक्षेत्र में लगे उद्यानिकी फसलों का बीमा किया गया तथा बीमा कंपनी को राज्यांश राशि रू. 2,569.00 लाख भुगतान किया गया है। वर्ष 2020–21 में राज्य बजट में राज्यांश राशि रू. 3,100.00 लाख प्रावधानित है।

7.20 एनएमएसए नेशनल मिशन ऑन एग्रो फारेस्ट्री :– यह केन्द्र प्रवर्तित योजना हैं कृषि एवं वानिकी की तकनीकों का मिश्रण करके विविधतापूर्ण, लाभप्रद, स्वस्थ एवं टिकाऊ भूमि उपयोग सुनिश्चित किये जाने हेतु योजना संचालित है। वर्ष 2019–20 हेतु राशि रू. 200.00 लाख एवं 2018–19 के कार्ययोजना की राशि 94.05 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा वर्ष 2019–20 में योजनांतर्गत 03 छोटी नर्सरी, 01 हाईटेक नर्सरी, 428.75 हेक्टेयर परिधीय/बाउण्ड्री वानिकी पौध रोपण तथा 36.50 हेक्टेयर सघन वानिकी पौध ब्लाक वृक्षारोपण का कार्य सम्पादित किया गया तथा राशि रू. 260.66 लाख व्यय हुए। योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में राशि रू. 287.84 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

7.21 एनएमएसए अन्तर्गत पुर्नगठित राष्ट्रीय बांस मिशन :– यह केन्द्र प्रवर्तित योजना हैं। योजना का उद्‌देश्य कृषकों के अतिरिक्त आय हेतु गैर–वन सरकारी एवं निजी भूमि में बांस का क्षेत्र विस्तार कर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना एवं कृषकों के प्रक्षेत्र में उत्पादित बांस के बेहतर मूल्य हेतु मूल्य संवर्धन के कार्य तथा उत्पादित बांस को लम्बे समय तक सुरक्षित रखने हेतु प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है साथ ही बांस के विभिन्न मूल्य सवंर्धित उत्पाद बनाने हेतु कारीगरों को नवीन तकनीक का प्रशिक्षण एवं बांस के बाय प्रोडक्ट बनाने वाले कारीगरों को नवीन मशीन उपकरण हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। वर्ष 2019–20 हेतु राशि रू. 693.33 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ तथा योजनांतर्गत 713 हेक्टेयर बांस रोपण क्षेत्र विस्तार कार्य सम्पादित किया गया एवं राशि रू. 621.66 लाख व्यय हुए। वर्ष 2020–21 में राशि रू. 678.71 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

जल संसाधन

7.22.1 भौगौलिक विवरण एवं उपलब्ध जल :— छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 137.90 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग 42 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य कृषि प्रधान राज्य है। राज्य में कुछ वृष्टिछाया प्रभावित खण्डों को छोड़कर अधिकतम भाग जल संसाधन से सम्पन्न हैं।

प्रदेश में विभिन्न स्त्रोतों से सतही जल की मात्रा 48,296 मि.घ.मी. है, जिसमें से 41,720 मि.घ.मी. जल उपयोग में लाया जा सकता है। केन्द्रीय भू–जल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भूगर्भीय जल की मात्रा 11,630 मि.घ.मी. है। अभी तक भूगर्भीय जल का लगभग 44% उपयोग में लाया जा रहा है। प्रदेश के कुल 146 विकासखण्ड में से 122 विकासखण्ड भू–जल की दृष्टि से सुरक्षित श्रेणी तथा 22 विकासखण्ड आंशिक संकटपूर्ण श्रेणी में हैं। 02 विकासखण्ड संकटपूर्ण श्रेणी में आंकलित हैं।

7.22.2 सृजित सिंचाई क्षमता :— सिंचाई के मुख्य साधन जलाशय, व्यपवर्तन, एनीकट/स्टॉपडेम एवं नलकूप आदि है। राज्य गठन के समय प्रदेश में निर्मित 03 वृहद, 29 मध्यम एवं 1,945 लघु सिंचाई योजनाओं से कुल 13.28 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित थी, जो वर्तमान में (मार्च 2020 तक) 21.21 लाख हेक्टेयर हो गई है। इस तरह राज्य निर्माण के पश्चात कुल 7.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई। वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत 38.20 हो गया है। आगामी वर्षो में राज्य के कुल बोये गए क्षेत्र का 75 प्रतिशत अर्थात 43 लाख हेक्टयर में से 32 लाख हेक्टयर क्षेत्र में सतही जल से सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है।

7.22.3 निर्मित एवं निर्माणाधीन योजनाएं :— वर्तमान में 08 वृहद, 37 मध्यम, 2,401 लघु सिंचाई योजनाएं तथा 30 नलकूप योजना एवं 734 एनीकट/स्टापडेम निर्मित हैं। जबकि 04 वृहद, 01 मध्यम एवं 416 लघु सिंचाई योजनाएं तथा 01 नलकूप योजना एवं 186 एनीकट/स्टापडेम निर्माणाधीन हैं।

7.22.3.1 वृहद निर्माणाधीन परियोजनाएं :—

- **अरपा भैंसाझार परियोजना** :—यह योजना बिलासपुर जिले के अंतर्गत कोटा विधानसभा के अंतर्गत कोटा विकासखण्ड में ग्राम–भैंसाझार के समीप अरपा नदी पर स्थित है। परियोजना की वर्तमान लागत रू. 1,141.90 करोड़ है। योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना से बिलासपुर जिले के कोटा, बिल्हा एवं तखतपुर विकासखंडों के अंतर्गत 102 ग्राम लाभान्वित होंगे। इस योजना के पूर्ण होने से लगभग 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। इससे जून 2020 तक लगभग 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है। योजना जून 2022 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

- **राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन** :—राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन योजना के प्रथम चरण में 2,000 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है। योजना के द्वितीय चरण में 28,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई हेतु लगभग 70 कि.मी. लंबाई की मुख्य नहर के निर्माण हेतु रू. 114.45 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

7.22.4 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना :—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित 99 महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रदेश की प्रमुख 03 योजनाएं यथा केलो वृहद सिंचाई परियोजना, खारंग सिंचाई परियोजना एवं मनियारी सिंचाई परियोजना शामिल की गई हैं। केलो परियोजना, खारंग एवं मनियारी जलाशय में क्रमशः 22,810 हेक्टेयर, 8,300 हेक्टेयर तथा 11,515 हेक्टेयर क्षेत्र CADWM के कार्य प्रस्तावित हैं जिनकी लागत क्रमशः रू. 81.21 करोड़, रू. 33.18 करोड तथा रू. 45.37 करोड है।

7.22.5 सूक्ष्म सिंचाई एवं सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना :—प्रदेश की विभिन्न नदियों/नालों पर विभाग द्वारा एनीकट एवं व्यपवर्तन योजनाएं निर्मित की गई है उपलब्ध जल की समुचित उपयोग किये जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म सिंचाई एवं सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं को क्रियान्वयन की कार्य योजना बनाई गई है। विभाग में निर्मित एनीकेट में से वर्ष 2020—21 तक प्रस्तावित 75 सूक्ष्म एवं 49 सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना कुल 124 योजनाओं में से 14 सूक्ष्म एवं 19 सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना कुल 33 योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है एवं 14 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2020—21 में उक्त कार्य हेतु रू. 1,820.00 लाख बजट प्रावधानित है। इन 33 स्वीकृत योजनाओं (सूक्ष्म सिंचाई योजना 14 तथा सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना 19) से 10,387 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित होगी।

7.23 महानदी आयाकट :—महानदी आयाकट विकास प्राधिकरण रायपुर (छ.ग)

तालिका क्. 7.17 वर्ष 2019—20 एवं 2020—21 (सितंबर) का भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)

क्र.	कार्य का नाम	वर्ष 2019—20 में कुल लक्ष्य		वर्ष 2019—20 की उपलब्धि (अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 एवं अप्रैल 2019 से मार्च 2020)				वर्ष 2020—21 में कुल लक्ष्य		वर्ष 2020—21 की कुल उपलब्धि (सितंबर 2020)	
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय आबंटन	भौतिक लक्ष्य (अप्रैल से सितंबर)	वित्तीय व्यय (अप्रैल 2019 से सितंबर 2019)	भौतिक लक्ष्य (अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक)	वित्तीय आबंटन (अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक)	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय आबंटन	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय आबंटन
1	सहभागिता सिंचाई प्रबंधन समिति (पी.आई.एम.) (हेक्टेयर)	0	150.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	निर्मित फील्ड चैनल में शेष 80 प्रतिशत लाईनिंग कार्य (मीटर)	7999	100.00	6151	99.92	8001	99.94	8000	100.00	1564	30.00

7.23.1 मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना :– मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना एक बहुउद्देशीय वृहद सिंचाई परियोजना है, जो हसदेव नदी पर कोरबा जिले के बांगो ग्राम के पास निर्मित है। बांध के 42 कि.मी. नीचे कोरबा के पास बैराज का निर्माण किया गया है। वर्तमान में बांध का शत–प्रतिशत निमार्ण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। परियोजना से कोरबा, जांजगीर–चांपा एवं रायगढ जिले के लगभग 923 ग्राम सिंचाई सुविधा से लाभान्वित है। परियोजना की निर्मित सिंचाई क्षमता 2,47,400 हेक्टेयर खरीफ एवं 1,73,180 हेक्टेयर रबी कुल 4,20,580 हेक्टेयर है। परियोजना अंतर्गत कोरबा जिले की 10,147 हेक्टेयर, जांजगीर–चांपा जिले के 3,90,184 हेक्टेयर तथा रायगढ़ जिले के 20,249 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ उपलब्ध कराना निर्धारित है। योजना से वर्ष 2007 से ही पूर्ण सिंचाई क्षमता 4,20,580 हेक्टेयर निर्मित की जा चुकी है। बांगो जलाशय से औद्योगिक जल प्रदाय हेतु 418.95 मि.घ.मी. वार्षिक तथा कोरबा नगर निगम को पेयजल हेतु 14 मि.घ.मी. वार्षिक जल प्रदाय किया जाना प्रावधानित है।

वर्ष 2019 में बांगो परियोजना से खरीफ सिंचाई हेतु 2,47,400 हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य के विरूद्ध अंतिम खरीफ प्रतिवेदन के अनुसार 2,35,880 हेक्टेयर भूमि में खरीफ सिंचाई की गई थी। वर्ष 2020 में परियोजना से 2,47,400 हेक्टेयर में खरीफ सिंचाई लक्ष्य के विरूद्ध खरीफ सिंचाई के प्रतिवेदन के अनुसार 2,36,083 हेक्टेयर में खरीफ सिंचाई की गई है।

7.23.2 केलो परियोजना:– केलो परियोजना रायगढ़ शहर से 8 कि.मी. की दूरी पर रायगढ़–अम्बिकापुर राजमार्ग पर ग्राम दनौट में केलो नदी पर प्रस्तावित है। इस बांध के निर्माण से रायगढ़ एवं जांजगीर–चांपा जिले (रायगढ़, खरसिया, सरिया एवं चंद्रपुर विधान सभा क्षेत्र) के 175 ग्रामों की 24,396 हेक्टेयर भूमि में से 22,810 हेक्टेयर खरीफ की सिंचाई सुविधा के साथ–साथ रायगढ़ शहर को पेयजल हेतु 4.44 मि.घ.मी. तथा परियोजना से औद्योगिक उपयोग हेतु 4.44 मि.घ.मी. जल प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, जिसे दिनांक 30.06.2022 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

केलो परियोजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता 22,810 हेक्टेयर है। जून 2020 तक 17,005 हेक्टेयर तथा शेष 5805 हेक्टेयर जून 2020 तक निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। केलो परियोजना शीर्ष एवं नहर कार्यो की भौतिक प्रगति क्रमशः 99% एवं 75% माह सितम्बर/2019 तक प्राप्त की जा चुकी है। परियोजना की पुनः पुनरीक्षित लागत रू. 891.01 करोड़ के विरूद्ध सितम्बर/2020 तक कुल राशि रू. 802.37 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं।

7.23.3 शिवरीनारायण बैराज का निर्माण :–इस संरचना अंतर्गत महानदी पर शिवरीनारायण बैराज जिसकी लागत रू. 162.43 करोड़ है का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अक्टूबर/2020 तक लागत के विरूद्ध राशि रू. 151.39 करोड़ व्यय की जा चुकी है। इस बैराज के निर्माण पश्चात् संग्रहित उपलब्ध जल से 690 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वयं के साधन से सिंचाई के साथ–साथ औद्योगिक संस्थानों को उपयोग हेतु जल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

तालिका क्र.7.18 शिवरीनारायण बैराज					
क्र	संस्थान के नाम	स्वीकृत जल की कुल मात्रा वार्षिक	संस्थान हेतु ग्रीष्मकालीन आरक्षित जल संग्रहण	आफटेक पाईंट	अभियुक्ति
शिवरीनारायण बैराज :–			**प्रस्तावित जल संग्रहण मात्रा**		37.00
1	जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, रायगढ़ (600 मे.वा.)	0.00	0.00	कलमा बैराज	–
2	कर्नाटक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (1600 मे.वा.)	52.00	17.55	शिवरीनारायण बैराज	–
3	के.एस.के. महानदी पॉवर कंपनी लिमिटेड (वर्धा पॉवर) (1850 मे.वा.)	100.00	10.00	बसंतपुर बैराज	संस्थान को 34.00 मि.घ.मी. अतिरिक्त जल मानसून अवधि (जुलाई से सितंबर) तथा मानसून पश्चात् अवधि (अक्टूबर से दिसंबर) में आबंटित किया जाना प्रस्तावित है।
	योग :–	**152.00**	**27.55**		

7.23.4 साराडीह बैराजः– इस संरचना अंतर्गत महानदी पर साराडीह बैराज जिसकी पुनरीक्षित लागत रू. 640.21 करोड़ है, का निर्माण कार्य वर्तमान में लगभग 99 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। सितंबर 2020 तक लागत के विरूद्ध राशि रू. 531.53 करोड़ व्यय की जा चुकी है। इस बैराज के निर्माण पश्चात् संग्रहित उपलब्ध जल से 333 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वयं के साधन से सिंचाई के साथ–साथ औद्योगिक संस्थानों के उपयोग हेतु जल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इस बैराज से निम्नानुसार औद्योगिक संस्थानों को तथा पेयजल हेतु जल प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है :–

तालिका क्र.7.19 साराडीह बैराज					
क्र.	संस्थान के नाम	स्वीकृत जल की कुल मात्रा वार्षिक	संस्थान हेतु ग्रीष्मकालीन आरक्षित जल संग्रहण	ऑफटेक पाईंट	अभियुक्ति
साराडीह बैराज :–		**प्रस्तावित जल संग्रहण मात्रा**			54.24
1	इण्ड भारत एनर्जी लिमिटेड, हैदराबाद (600 मे.वा.)	20.00	4.50	साराडीह बैराज	–
2	वीसा पॉवर लिमिटेड, कोलकाता (1200 मे.वा.)	35.00	7.87	साराडीह बैराज	–
3	बी.ई.सी. पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, मुंबई (505 मे.वा.)	14.50	3.26	साराडीह बैराज	
4	(अ) एस.के.एस. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, रायपुर (600 मे.वा.)	12.00	4.05	साराडीह बैराज	–
	(ब) एस.के.एस. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, रायपुर (अतिरिक्त 600 मे.वा.)			साराडीह बैराज	
5	(अ) आर.के.एम. पॉवरजेन प्राईवेट लिमिटेड, चेन्नई (1200 मे.वा.)	35.00	7.88	साराडीह बैराज	–
	(ब) आर.के.एम. पॉवरजेन प्राईवेट लिमिटेड, चेन्नई (अतिरिक्त 200 मे.वा.)	9.83	2.21	साराडीह बैराज	

तालिका क.7.19 साराडीह बैराज					
क्र.	संस्थान के नाम	स्वीकृत जल की कुल मात्रा वार्षिक	संस्थान हेतु ग्रीष्मकालीन आरक्षित जल संग्रहण	ऑफटेक पाईंट	अभियुक्ति
सारा‍डीह बैराज :–	**प्रस्तावित जल संग्रहण मात्रा**				54.24
	(अतिरिक्त 200 मे)				
6	(अ) एन.टी.पी.सी. लारा (4000 मे.वा.के प्रथम चरण 1600 मे.वा. हेतु)	45.00	15.18	सारा‍डीह बैराज	
	(ब) एन.टी.पी.सी. लारा (4000 मे.वा.के द्वितीय चरण 2400 मे.वा. हेतु)	68.00	3.81	सारा‍डीह बैराज	
	योग :–	239.33	48.76		
पेयजल हेतु आबंटित जल					
1	सारंगढ़ आवर्धन जल प्रदाय योजना	2.19	0.00	सारा‍डीह बैराज	
2	डभरा आवर्धन जल प्रदाय योजना	1.00	0.00	सारा‍डीह बैराज	
	योग :–	3.19	0.00		

सारा‍डीह बैराज से उक्त संस्थानों में से वर्तमान में 03 संस्थानों यथा मेसर्स एस.के.एस. पावर लि., आर.के.एम. जेन पावर लि. एवं एन.टी.पी.सी. लारा द्वारा क्रमशः 12.00 मि.घ.मी. वार्षिक, 11.20 मि.घ. मी. वार्षिक तथा 45.00 मि.घ.मी. वार्षिक, कुल 68.20 मि.घ.मी. अनुबंध करने के पश्चात् जल आहरण किया जा रहा है।

7.23.5 एनीकटः— वर्तमान में सरंचनाधीन स्वीकृत 45 एनीकटों में से अप्रैल 2020 तक 28 एनीकट निर्मित हैं, जिसमें से लेपरा एनीकट औद्योगिक प्रयोजन हेतु निर्मित है, तथा 17 एनीकट निर्माणाधीन हैं। जल संवर्धन एवं निस्तारी हेतु निर्मित एनीकटों से स्वयं के साधन से किसानों को 4,746 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जा रहा है।

7.23.6 नरवा कार्यकम :— वर्तमान में नरवा कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला सुकमा एवं कोरबा में 208 नाला कार्य स्वीकृत है। जिसमें 48 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं तथा 149 कार्य प्रगति पर है एवं 11 कार्य अप्रारंभ है। शेष जिलों में इन योजनाओं का क्रियान्वयन जल संसाधन विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन में ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराया जा रहा है।

पशुधन

7.24.1 छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकांश ग्रामीण परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। पशु संगणना 2019 के अनुसार प्रदेश में 1.59 करोड़ पशुधन तथा 1.87 करोड़ कुक्कुट एवं बतख पक्षीधन है। देशी नस्ल के पशुओं की दुग्ध उत्पादन की क्षमता में वृद्वि की दृष्टि से पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्नत नस्ल के सांडों के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान एवं उन्नत नस्ल के सांडों से प्राकृतिक गर्भाधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अन्य विभागीय कार्यक्रमों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है :–

तालिका 7.20 पशुधन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)

सांख्यिकी	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19(P)	2019-20(Q)	2020-21(A)
भागीदारी (लाख)	245276	253157	284250	313268	341418	389906	435660
वृद्धि (प्रतिशत)	-1.71	3.21	12.28	10.21	8.99	14.20	11.73
हिस्सा (प्रतिशत)	1.40	1.41	1.46	1.57	1.56	1.70	1.93

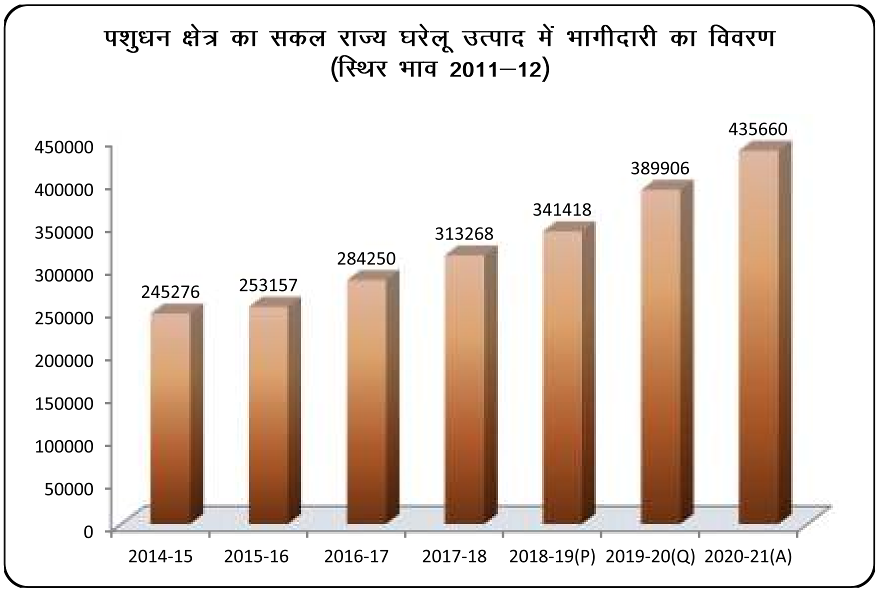

7.24.2 गौंवंशीय एवं भैसवंशीयपशु विकास :– पशु संगणना 2019 के अनुसार गौंवंशीय एवं भैसवंशीय प्रजनन योग्य पशुओं की संख्या 36.73 लाख है। राज्य में वर्ष 2020–21 की अवधि में पशुओं में उन्नत प्रजनन सुविधा हेतु 22 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, 248 हिमीकृत वीर्य कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र, 341 पशु चिकित्सालय, 829 पशु औषधालय, 10 मुख्य ग्राम खण्ड, 99 मुख्य ग्राम खण्ड इकाई कार्यरत हैं। उपरोक्त संस्थाओं द्वारा वर्ष 2019–20 में 6.15 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं। आलोच्य अवधि में कृत्रिम गर्भाधान से 2.00 लाख वत्सोत्पादन हुआ। तथा 18.98 लाख

पशुओं का उपचार, 22.39 लाख पशुओं को औषधि प्रदाय, 3.91 लाख पशुओं में बधियाकरण, 189.50 लाख पशुओं में टीकाकरण एवं 37.18 लाख कुक्कुट पक्षी का टीकाकरण कार्य किया गया है।

वर्ष 2020–21 में सितम्बर 2020 तक 2.91 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई। जिससे 0.95 लाख कृत्रिम गर्भाधान से वत्सोंत्पादन हुआ। 10.00 लाख पशुओं का उपचार, 13.34 लाख पशुओं को औषधि प्रदाय, 0.81 लाख पशुओं में बधियाकरण, 149.19 लाख पशुओं में टीकाकरण एवं 14.06 लाख कुक्कुट पक्षी का टीकाकरण कार्य किया गया है।

7.24.3 बकरी विकास :–प्रदेश में वर्ष 2019 की पशु संगणना के अनुसार 40.05 लाख बकरे–बकरियां है। प्रदेश में कार्यरत प्रक्षेत्रों के अंन्तर्गत अधिक उत्पादन वाली नस्लों का प्रजनन किया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थानीय बकरियों के नस्ल सुधार हेतु उन्नत नस्ल के ग्रेडेड नस्ल का बकरा विभागीय व्यक्तिमूलक योजना में (विशेष घटक योजनांतर्गत) अनूसचित जाति वर्ग के एवं (आदिवासी उपयोजनांतर्गत) अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को अनुदान पर प्रजनन योग्य बकरों का वितरण किया जाता है। वर्ष 2019–20 में योजनांतर्गत राशि रू. 44.00 लाख में से राशि रू 41.21 लाख व्यय कर कुल 1,030 बकरों का वितरण किया गया। वर्ष 2020–21 में योजनांतर्गत माह सितम्बर 2020 तक राशि रू 76.00 लाख मे से राशि रू 23.56 लाख व्यय कर 138 बकरों का वितरण किया गया।

प्रदेश में बकरी पालन को बढ़ावा दिये जाने हेतु दो नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना ग्राम सरोरा जिला रायपुर तथा रामपुर (ठाठापुर) जिला कबीरधाम में की गई है।

7.24.4 सूकर विकास :–वर्ष 2019 की पशु संगणना के अनुसार राज्य में 5.27 लाख सूकर हैं। सूकर नस्ल सुधार हेतु चयनित सूकर पालकों को वर्ष 2019–20 में अनुदान पर सूकरत्रयी (2 मादा + 1 नर सूकर) वितरण हेतु राशि रू. 72.00 लाख आबंटन अन्तर्गत लक्ष्यित 800 सूकरत्रयी के विरुध्द राशि रू. 71.92 लाख व्यय कर 799 सूकरत्रयी प्रदाय किया गया एवं अनुदान पर नर सूकर वितरण हेतु राशि रू. 17.50 लाख आबंटन अन्तर्गत लक्ष्यित 500 नर सूकर के विरूध्द राशि रू 16.38 लाख व्यय कर 468 नर सूकर अनुदान पर प्रदाय कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया हैं।

वर्ष 2020–21 में अनुदान पर नर सूकर वितरण हेतु राशि रू. 3.50 लाख आबंटन अन्तर्गत लक्ष्यित 100 नर सूकर के विरूद्ध राशि रू. 0.70 लाख व्यय कर 20 नर सूकर अनुदान पर प्रदाय कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया हैं यह योजना अब बंद कर दी गई है। अनुदान पर सूकरत्रयी योजना से राशि रू. 89.00 लाख अनुदान अंतर्गत 988 इकाई लक्ष्य के विरूद्ध राशि रू. 24.61 लाख व्यय कर 86 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

प्रदेश में सूकर पालन को बढ़ावा दिये जाने हेतु सकालो जिला अम्बिकापुर एवं परचनपाल जिला जगदलपुर में सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र संचालित हैं। जिसमें लार्ज व्हाइटयार्कशायर, रशियन चरमुखा नस्ल के सुकरों का प्रजनन किया जा रहा है। एक नवीन सूकर पालन प्रक्षेत्र की स्थापना कुनकुरी जिला जशपुर में प्रगति पर है।

7.24.5 शत–प्रतिशत अनुदान पर सांडों का प्रदाय :–प्रदेश मे वर्ष 2006–07 से पशु नस्ल के उन्नयन हेतु ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कृत्रिम गर्भाधन की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पर ग्राम पंचायतों के माध्यम से उन्नत प्रगतिशील किसान/गौसेवक को शत्–प्रतिशत अनुदान पर सांडो का प्रदाय करने की योजना प्रारंभ की गयी हैं। योजना प्रारंभ से माह सितम्बर 2020 तक कुल 482 सांड़ विभिन्न ग्राम पंचायतो में प्रदाय किये गये है। वर्ष 2019–20 में शत्–प्रतिशत अनुदान पर सांड़ वितरण हेतु कुल राशि रु. 61.60 लाख आबंटन अन्तर्गत लक्ष्यित 166 सांड़ों का वितरण किया गया हैं। वर्ष 2020–21 में माह सितम्बर 2020 तक राशि रू. 75.25 लाख में से राशि रू. 15.56 लाख व्यय कर 11 सांड़ों का वितरण किया गया है, शेष सांड़ों के वितरण कार्य प्रगति पर है।

तालिका 7.21

चिकित्सालय	संख्या
पशु चिकित्सालय	341
पशु औषधालय	829
चल चिकित्सालय	27
माता महामारी उन्मूलन योजना	07
पशु जॉंच चौकियॉं	16
रोग अनुसंधान प्रयोगशाला	22
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	248
कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र	08
एम्बुलेट्री क्लीनिक	20
मोटर सायकल यूनिट	10
मुख्य ग्राम खण्ड	99
मुख्य ग्राम खण्ड इकाई	341

7.24.6 कुक्कुट विकास :–प्रदेश मे पशु संगणना 2019 के अनुसार कुल 187.12 लाख कुक्कुट एवं बतख पक्षी हैं। प्रदेश में 7 कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र एवं 2 बतख पालन प्रक्षेत्र स्थापित हैं। इन प्रक्षेत्रों पर उत्पादित रंगीन चूजों का वितरण बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण योजनांतर्गत आहार एवं औषधि सहित घर तक परिवहन पश्चात् सभी वर्ग के हितग्राहियों को प्रदाय किया जाता हैं। योजनांतर्गत कुक्कुट चूजों के अलावा बतख एवं बटेर चूजों का भी प्रदाय किया जाता हैं। वर्ष 2019–20 में बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण योजनांतर्गत राशि रू. 517.00 लाख आबंटन अंतर्गत राशि रू. 511.61 लाख ब्यय कर कुल 19,763 हितग्राहियों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

वर्ष 2020–21 में माह सितम्बर 2020 तक राशि रू. 517.00 लाख आबंटन अंतर्गत राशि रू. 49.70 लाख व्यय कर 1,340 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। वर्तमान शेष बैकयार्ड कुक्कुट इकाईयों का वितरण शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों से किया जा रहा है।

7.24.7 अतिरिक्त केन्दीय सहायता राशि :– राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत, विभाग के लिये वर्ष 2019–20 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत राशि रू. 4,056.67 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत हुई है, जिसके अन्तर्गत रू. 3,047.134 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है एवं सितम्बर 2019 तक राशि रू. 1,528.76 लाख व्यय किया गया है।

वर्ष 2020–21 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत राशि रू. 6,928.87 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत हुई है, जिसके अंतर्गत रू. 2,287.31 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है, जिसका व्यय प्रक्रियाधीन है।

7.24.8 प्रायवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता प्रशिक्षण योजना :– राष्ट्रीय कृषि आयोग की अनुशंसा अनुसार राष्ट्रीय गौवंशीय, भैसवंशीय परियोजनान्तर्गत प्रत्येक 1,200 पशुओं पर एक कृत्रिम गर्भाधान इकाई की आवश्यकतानुरूप, स्वरोजगारोन्मुखी प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता प्रशिक्षण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसमें प्रशिक्षित गौ सेवको, स्थानीय बेरोजगार को एक माह का सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक तथा 3 माह का क्षेत्रीय/प्रशिक्षण देकर कृत्रिम गर्भाधान का कार्य कराया जा रहा है।

वर्ष 2019–20 तक कुल 2,051 प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता/मैत्री प्रशिक्षित किया गया है, जिसमे 971 कार्यरत हैं। इन्हे निःशुल्क औजार, उपकरण प्रदाय कर नियमित रूप से तरल नत्रजन एवं स्ट्रा प्रदाय की व्यवस्था नजदीकी विभागीय संस्था के माध्यम से की जा रही है तथा प्रत्येक वत्सोत्पादन पर 04 चरणों में रू. 1,200 मानदेय देने का प्रावधान है।

7.24.9 पशुधन मित्र योजना– पशुधन मित्र (गौसेवक/प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता, मैत्री) को जीविकोपार्जन एवं वार्ड में रूचि की निरन्तरता बनाने हेतु पशुओं में टीकाकरण, शिविर आयोजन में भाग लेने हेतु प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। वर्श 2019–20 में योजनांतर्गत राशि रूपये 300.00 लाख के आबंटन से राशि रूपये 295.25 लाख का मानदेय दिया गया। इसी तरह वर्श 2020–21 में माह सितम्बर 2020 तक राशि रूपये 330.00 लाख के आबंटन से रिक्त राशि रूपये 159.40 लाख का मानदेय पशुधन मित्रों को दिया गया।

7.24.10 ग्रामोंत्थान योजना :– राज्य में पशु नस्ल सुधार द्वारा कृषको की आमदनी में वृध्दि करने तथा कृषि कार्यो के लिये उन्नत नस्ल के सक्षम व ताकतवर पशुओं के विकास करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कई पशु नस्ल सुधार योजनायें चलाई जा रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये पशु पालकों सहित गरीब चरवाहों को भी पशुधन विकास और पशुओं पर आधारित आर्थिक गतिविधियों में शामिल करने, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006–07 से ग्रामोंत्थान योजना प्रारंभ किया गया है। योजना प्रारंभ से अब तक कुल 15,709 चरवाहो का पंजीयन किया गया है। योजना का उद्देश्य पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान हेतु आवश्यक सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिये, चरवाहों को पशुपालन विभाग की आवश्यक कड़ी के रुप में जोड़ना है। वर्ष 2019–20 में ग्रामोत्थान योजना हेतु राशि रु. 20.00 लाख राज्य आयोजना मद से प्रोत्साहन राशि रू. 15/प्रति कृत्रिम गर्भाधान एवं 15/– प्रति बधियाकरण कार्य में सहयोग हेतु चरवाहों को कुल 1,24,466 कृत्रिम गर्भाधान/बधियाकरण में राशि रू. 18.67 लाख प्रदाय किया गया है।

वर्ष 2020–21 में कुल 1.69 लाख कृत्रिम गर्भाधान/बधियाकरण कार्य के लक्ष्य के विरूद्ध रू. 20.00 लाख प्रावधानित है। सितम्बर 2020 तक राशि रू. 1.69 लाख खर्च हुआ है।

7.24.11 छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण :–छत्तीसगढ़ राज्य में पशु संवर्धन की राष्ट्रीय गौवंशीय–भैसवंशीय पशु प्रजनन परियोजना के संचालन व नियंत्रण हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना जून 2001 में की गई। अभिकरण को राष्ट्रीय गौवंशीय–भैसवंशीय पशु प्रजनन परियोजनान्तर्गत विभिन्न घटको के क्रियान्वयन हेतु प्रथम चरण (वर्ष

2001–02 से वर्ष 2005–06) में 10.42 करोड़ एवं द्वितीय चरण (वर्ष 2006–07 से वर्ष 2010–11) में 19.4 करोड़ प्राप्त हुई। नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाईन ब्रीडिंग वर्ष 2014–15 में 1,080.00 लाख एवं राष्ट्रीय गोकुल मिशन वर्ष 2018–19 में 1,920.60 लाख प्राप्त हुआ। जिसका क्रियान्वयन वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में किया जा रहा है। परियोजनांतर्गत मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :–

- पशु संवर्धन कार्य हेतु आवश्यक हिमीकृत वीर्य का उत्पादन राज्य में सुनिश्चित करने के लिए अंजोरा दुर्ग में फ्रोजन सीमन बुल स्टेशन की स्थापना।
- घर पहुंच सेवा सुनिश्चित करने हेतु 1,504 अचल कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों का चल कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों में परिवर्तन।
- कृत्रिम गर्भाधान कार्य हेतु आवश्यक तरल नत्रजन प्रदाय एवं भण्डारण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण अंतर्गत 1179 B.A.-3, 590 T.A-55.,75 J-12जिलों को एवं 1 O.M.R.केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय अंजोरा दुर्ग को प्रदाय किया गया है एवं 6,000 लीटर क्षमता के 4 तरल नत्रजन टैंकर, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड नासिक में निर्माणाधीन है।
- गुणवत्ता परीक्षण उपरांत हिमीकृत वीर्य प्रदाय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये वीर्य संग्रहालयों का सुदृढ़ीकरण अंतर्गत 04 मुर्रा एवं 01 साहिवाल HGM सांड PLDB पंजाब से एवं 02 जर्सी तथा 02 CBHF HGM सांड ULDB उत्तराखण्ड से क्रय कर केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय अंजोरा दुर्ग लाया गया है।
- वर्ष 2019–20 में 300 प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं (मैत्री) को प्रशिक्षण व सामग्री प्रदाय एवं ए.आई. क्षेत्र विस्तार तथा स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रदाय किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना अन्तर्गत ग्राम झालम जिला बेमेतरा में संस्थागत गोकुल ग्राम की स्थापना हेतु वर्ष 2020–21 में राशि रू. 657.00 लाख छ.ग. राज्य गौ सेवा आयोग को प्रदाय किया गया है तथा ग्राम नगोई जिला बिलासपुर में सांड माता प्रक्षेत्र की स्थापना हेतु राशि रू. 454.60 लाख संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवायें बिलासपुर को प्रदाय किया गया हैं।
- मानव संसाधन विकास हेतु विभागीय व गैर विभागीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को राज्य व राज्य के बाहर प्रशिक्षण के फलस्वरूप प्रतिवर्ष संकर/उन्नत नस्ल की दुधारू गायों की संख्या में वृद्धि हो रही है। परिणामस्वरूप राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो रही है।
- वर्ष 2020–21 हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना अंतर्गत 2599.35 लाख का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

7.24.12 पशुरोग नियंत्रण परियोजना (एस्काड):– केन्द्र प्रवर्तित योजना लाइवस्टाक हेल्थ एण्ड डिसिज कण्ट्रोंल अन्तर्गत एस्काड संचालित है, जिसके अंतर्गत प्रमुख रोगों के प्रतिबंधात्मक टीकाकरण,

पशु उपचार शिविर, प्रशिक्षण, कार्यशाला का आयोजन, पशु पालकों/किसानो के मध्य पशु पालन से संबंधित प्रचार–प्रसार कार्य, अनुसंधान एवं प्रयोगशालाओं का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण,किया जाता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में राशि रू. 160.01 लाख व्यय किया गया है, एवं 137.43 लाख पशुओं में टीकाकरण किया गया। योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में राशि रू. 834.35 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत हुई है।

7.24.13 राष्ट्रीय ब्रुसलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम (NCPB):– "राष्ट्रीय ब्रुसलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम" योजनांतर्गत 4–8 माह उम्र के मादा वत्स (बछिया/पडिया) को ब्रुसोलोसिस रोग से बचाने हेतु रोग प्रतिबंधात्मक टीकाकरण कार्य किया जाता है।

7.24.14 मुंहपका खुरपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (FMD,CP):–एफ.एम.डी. मुक्त भारत अभियान के तहत वर्ष 2019–20 में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में को शामिल किया गया है। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक 06 माह के अन्तराल में गोवंशीय, भैसवंशीय पशुओं में सघन टीकाकरण कार्य किया जाता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में राशि रू. 78.38 लाख प्रतिबंधात्मक टीकाकरण किया गया है। वर्ष 2019–20 में राशि रू. 139.28 लाख व्यय किया गया है।

7.24.15 पी.पी.आर नियंत्रण कार्यक्रम (PPR,CP):–बकरियों में पी.पी.आर नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश के बकरियों को पी.पी.आर रोग के विरूद्व प्रतिबन्धात्मक टीकाकरण कार्य किया जाता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में प्राप्त राशि रू. 23.12 लाख व्यय किया गया है। योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में 12.54 लाख भेंड एवं बकरियों में टीकाकरण प्रस्तावित है, जिसके लिये राशि 52.26 लाख कार्य योजना भारत शासन से स्वीकृत अपेक्षित है।

7.24.16 नेशनल लाइवस्टाक मिशन योजना (एन.एल.एम.):–योजना अन्तर्गत पशुपालकों को व्यवसायिक बकरी इकाई, पावर ड्रिवन चाफ कटर वितरण, बकरी में डिवर्मिग एवं मिनरल मिक्चर का वितरण, पशु मेला आयोजन, चारागाह का विकास पर व्यय किया जाता है।

7.24.17 सुराजी गांव योजना– नरवा, गरूवा, घुरवा एवं बाड़ी (NGGB) :– प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना के अन्तर्गत नरवा, गरूवा, घुरवा एवं बाड़ी योजना का क्रियान्वयन विभिन्न विभागों जैसे – पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि, पशुधन विकास, उद्यानिकी, ऊर्जा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी आदि के समन्वय से किया जा रहा है। समस्त जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत स्तर पर गोचर भूमि आरक्षित कर गौठान एवं चारागाह का वृह्द निर्माण किया जा रहा है, जिसका मुख्य मुख्य उद्देश्य प्रदेश के गौवंशीय–भैंसवंशीय पशुधन को गौठानो के माध्यम से एक स्थान पर छाया, शुद्ध पेयजल, सूखा एवं हरा चारा उपलब्ध कराना है, जिससे खुले में घूम रहे पशुओं से किसानो की फसलों को हो रहे नुकसान से बचाया जा सके साथ ही पशुओं को मूलभूत सुविधा के साथ–साथ स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी उपलब्ध कराया जा सके।

गौठानो में सी.पी.टी. एवं तार फेंसिंग कर आरक्षित भूमि को घेरा कर पशुओं के लिए स्थान सुरक्षित किया गया है, जहां डे–केयर सेन्टर के रूप में ग्राम के पशुओं को चरवाहा के माध्यम से प्रातः कालीन गौठानो में लाया जाना है तथा संध्या होने पर पुनः पशु मालिक के घर वापस किया जाना है।

योजना अन्तर्गत विभागीय अमलो द्वारा गौठान में आने वाले पशुओं के स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे प्राथमिक उपचार, समयबद्ध प्रतिरोधात्मक टीकाकरण के साथ–साथ कृत्रिम गर्भाधान, प्राकृतिक गर्भाधान हेतु सांड वितरण, बधियाकरण, कृमिनाशक दवापान, कीटनाशक छिड़काव आदि सुविधायें उपलब्ध कराना है।

योजना के प्रारंभ एवं गोधन न्याय योजना के शुभारंभ पश्चात दिनांक 31 अक्टूबर 2020 तक कुल 6,299 गौठानों को स्वीकृती प्रदाय की गई है। जिनमें से प्रथम चरण में 1,804 एवं द्वितीय चरण में (गोधन न्याय योजना के शुभांरभ पश्चात) 2,518, इस प्रकार कुल 4,323 गौठानो का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है, जो कि स्वीकृत कार्य का 68.67 प्रतिशत है। इन गौठानो में आने वाले पशुओं में 47,635 कृत्रिम गर्भाधान कार्य, 22.85 लाख टीकाकरण एवं 34,737 बधियाकरण कार्य संपादित किया गया है। शासन की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना अन्तर्गत गौठान ग्राम के स्व–सहायता समूहो द्वारा गौठान में एकत्रित गोबर को रू. 2 प्रतिकिलो के दर पर विक्रय कर आय अर्जित किया जा रहा है। माह अक्टूबर 2020 के अंत तक प्रदेश के 3,661 गौठान द्वारा लगभग 18.00 लाख क्विंटल गोबर विक्रय कर राशि रू. 36.06 करोड रूपये अर्जित किये गये।

7.24.18 पशु उत्पाद उपलब्धता :– वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य के जिलों में केन्द्रीय एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण कार्यक्रम अंतर्गत 810 चयनित ग्रामों/वार्डो में दूध, अण्डा, ऊन एवं मांस के उत्पादन विषयक अनुमान लगाने हेतु विस्तृत सर्वेक्षण कार्य सम्पादित किया गया। सर्वेक्षण अनुसार राज्य में 1,677 (हजार टन) दुग्धोत्पादन, 20,289 (लाख) अण्डा उत्पादन एवं 66,060 (हजार कि0 ग्रा0) मांस उत्पादन अनुमानित पाया गया। वर्ष 2019–20 के एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण अनुसार प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 152 ग्राम दूध की उपलब्धता, प्रतिव्यक्ति वार्षिक 67 अण्डे तथा प्रति व्यक्ति वार्षिक मांस की उपलब्धता 2.175 कि0ग्रा0 होना पाया गया है।

7.24.19 डेयरी उद्यमिता विकास योजना:– राज्य में डेयरी उद्यमिता की अपार संभावनाओं को देखते हुए दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की बढ़ती हुई मांग के दृष्टिगत आपूर्ति सुनिश्चित करने डेयरी इकाई की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिसके तहत 2 दुधारू पशुओं की इकाई लागत राशि रूपये 1.40 लाख पर सामान्य प्रवर्ग के हितग्राहियों को 50% तथा अ.जा./अ.ज.जा. प्रवर्ग के हितग्राहियों को 66.6% की दर से अनुदान प्रावधानित है। योजनांतर्गत हितग्राही द्वारा इकाई को बैंक ऋण के माध्यम से (बैंक लिंकेज) या स्वयं की पूंजी (स्ववित्तीय) से क्रियान्वित किया जा सकेगा।

डेयरी उद्यमिता विकास योजनांतर्गत वर्ष 2019–20 में राशि रू. 1712.00 लाख आबंटन में से राशि रू. 1708.37 लाख व्यय कर 572 हितग्राहियों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है। वर्ष

2020–21 में माह सितम्बर 2020 तक 193 हितग्राहियों द्वारा स्थापित डेयरी इकाई हेतु राशि रू. 1639.90 लाख आबंटन में से राशि रू. 924.80 लाख का अनुदान प्रदाय किया गया है।

7.24.20 उन्नत मादा वत्सपालन योजना :– इस योजना का लाभ सभी वर्ग के हितग्राहियों को दिया जाता है, ताकि उन्नत नस्ल के वत्सपालन की अभिरूचि उत्पन्न हो। वर्ष 2011–12 में योजना की इकाई लागत रू. 10,500/– में से सामान्य वर्ग के हितग्राहियों के लिये रू. 5000/– एवं अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के लिये रू. 7500/– का शासकीय अनुदान दिया जाना, उन्नत नस्ल की बछिया हेतु 4 से 24 माह तक की आयु के लिये पशु आहार बाबत अनुदान स्वीकृत किया है। वर्ष 2019–20 में योजनांतर्गत राशि रू. 210.65 लाख आबंटन मे से राशि रू. 200.62 लाख व्यय कर 1,180 हितग्राहियों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया हैं।

वर्ष 2020–21 में माह सितम्बर 2020 तक राशि रू. 252.00 लाख आबंटन में से राशि 74.57 लाख व्यय कर 188 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

मत्स्य विकास

7.25.1 छत्तीसगढ़ राज्य में मत्स्य पालन विकास काफी प्रगति पर है। राज्य में उपलब्ध जल संसाधन की दृष्टि से मछली पालन एक विशिष्ट स्थान रखता है, राज्य की भौगोलिक एवं कृषि जलवायु स्थितियां भी मछली पालन हेतु उपयुक्त है। मछली पालन अधिक आय कम लागत और कम समय में सहायक धन्धें के रूप में ग्रामीण अंचलों में अत्यन्त लोकप्रिय है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर करने का सशक्त एवं रोजगारोन्मुखी साधन है मछली पालन से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। साथ ही मछली जैसे पौष्टिक खाद्य का उत्पादन बढ़ाकर कुपोषण को दूर किया जा सकता है। राज्य शासन द्वारा इस व्यवसाय से जुड़े मछुआरों के हित में अनेक कल्याणकारी निर्णय लिये गये है तथा उनका लाभ भी अधिक उत्पादन के रूप में परिलक्षित होने लगा है।

तालिका 7.22 मछली उद्योग क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)

सांख्यिकी	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19(P)	2019-20(Q)	2020-21(A)
भागीदारी (लाख)	294258	320482	352891	428200	457659	503807	529743
वृद्धि (प्रतिशत)	10.25	8.91	10.11	21.34	6.88	10.08	5.15
हिस्सा (प्रतिशत)	1.68	1.78	1.81	2.14	2.10	2.20	2.35

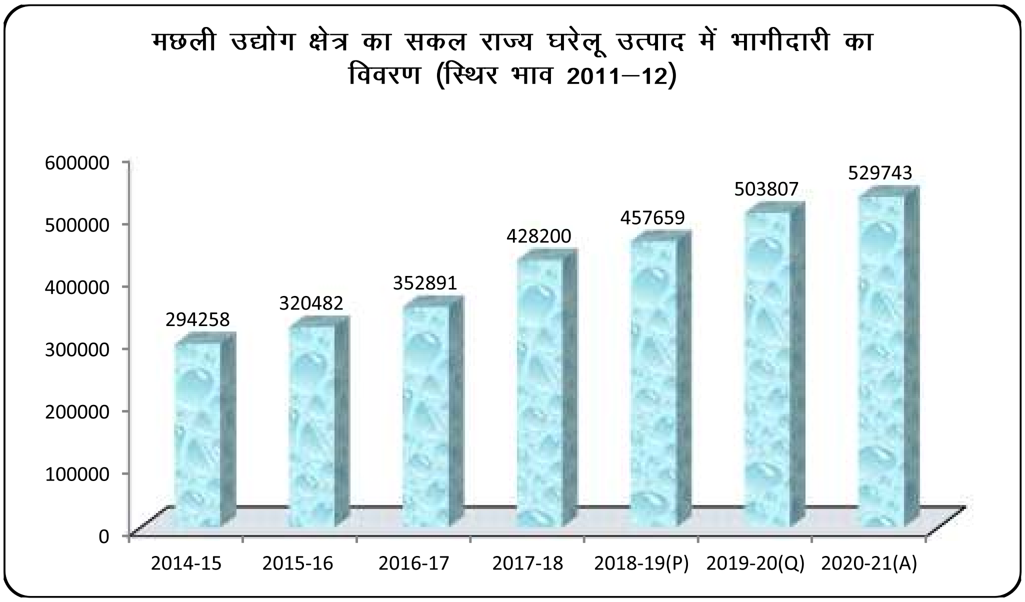

7.25.2 छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नानुसार मत्स्य विकास किया जा चुका है :– संसाधन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 1.909 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है जिसमें से 1.807 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र मछली पालन अन्तर्गत विकसित किया जा चुका है जो कुल जलक्षेत्र का 94.66 प्रतिशत है।

(अ) राज्य आयोजना :–

- **मत्स्य बीज उत्पादन** :– राज्य में वर्ष 2018–19 में समस्त स्त्रोतों से 25,131 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई का उत्पादन हुआ था। इसी प्रकार वर्ष 2019–20 में 27,386.86 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई का उत्पादन हुआ जो गतवर्ष की तुलना में 8.98 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 2020–21 में 26,722.10 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई का उत्पादन सितंबर 2020 की स्थिति में हुआ है।

- **मत्स्योत्पादन** :– राज्य में समस्त स्त्रोतों से वर्ष 2018–19 में 4,88,618.98 मे. टन का मत्स्य उत्पादन किया गया था, जबकि वर्ष 2019–20 में 5,37,889.57 मे. टन किया गया जो गत वर्ष की तुलना में 10.08 प्रतिशत अधिक था। आलोच्य वर्ष 2020–21 में माह सितम्बर तक 2,82,790.29 मे. टन मत्स्योत्पादन किया गया है।

- **मछुआ सहकारिता** :– राज्य में वर्ष 2019–20 तक समितियों की संख्या 1,595 है। इन समितियों की सदस्य संख्या 51,712 है। उक्त समितियों को 10 वर्ष की अवधि के लिये तालाब/सिंचाई जलाशय पट्टे पर दिये जाने का प्रावधान है। राज्य के सभी वर्ग के मछुआ सहकारी समितियों को मछली पालन सुचारू रूप से करने हेतु तीन वर्षों में अधिकतम रू. 3.00 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है।

- **शिक्षण–प्रशिक्षण**:– शिक्षण–प्रशिक्षण योजनान्तर्गत विभाग द्वारा सभी श्रेणी के मछुआरों को राज्य में मत्स्य पालन के साथ मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु मछली पालन की तकनीकी पद्धति एवं मछली पकड़ने, जाल बुनने, सुधारने एवं नाव चलाने का 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण अवधि में मछुआरों को प्रशिक्षण केन्द्र तक आने जाने का किराया एवं प्रशिक्षण वृत्ति 750/–, जाल बुनने हेतु धागा के लिए रूपये 400/–, तथा अन्य व्यय हेतु 100/– इसी प्रकार प्रति प्रशिक्षणार्थी पर कुल व्यय रू. 1250/– का प्रावधान है। वर्ष 2019–20 में इस कार्यक्रम के तहत 7,200 कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया तथा वर्ष 2020–21 में माह सितंबर 2020 तक 230 कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया।

- **मछुआरों को नवीनतम तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हेतु तीन दिवसीय उन्नयन प्रशिक्षण**:– सभी वर्ग के मछुवारों को तकनीकी ज्ञान में वृद्धि के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके तहत रू. 1,000 प्रति प्रशिक्षणार्थी व्यय का प्रावधान है। वर्ष 2019–20 हेतु 10,000 कृषकों हेतु रू. 100 लाख व्यय किया गया।

- **मछुआरों का अध्ययन भ्रमण** :– सभी वर्ग के प्रगतिशील मछुआरों को उन्नत मछली पालन का प्रत्यक्ष अनुभव कराने हेतु देश के अन्य राज्यों में अपनायी जा रही मछली पालन की तकनीक से परिचित करानें के उद्देश्य से राज्य के बाहर 10 दिवसीय अध्ययन भ्रमण पर भेजा जाता है उक्त प्रशिक्षण के दौरान आने जाने का किराया तथा रू. 100/– प्रति दिवस प्रति

मछुआ के मान से प्रशिक्षण वृत्ति दिया जाता है। हितग्राही के अध्ययन भ्रमण हेतु अधिकतम रू. 2,500/– प्रति हितग्राही व्यय किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2019–20 में 736 हितग्राहियों को अध्ययन भ्रमण पर भेजा गया।

- **मत्स्य पालन प्रसार** :–मत्स्य पालन प्रसार योजनान्तर्गत मछुआरों को झींगा मत्स्य पालन हेतु अनुसूचित जाति–जनजाति के कृषकों को झींगा बीज क्रय करने तथा खाद्य एवं खाद्य पदार्थ हेतु 3 वर्षो में अधिकतम रूपये 15,000/– का प्रावधान है। योजना अतंर्गत वर्ष 2019–20 में 893 इकाईयां स्थापित की गई है, उक्त इकाईयों में 5.49 लाख झींगा बीज संचयन कर 22,315.00 कि.ग्रा. का उत्पादन प्राप्त किया गया है।
- **मौसमी तालाबों में स्पान संवर्धन** – राज्य में अनुसूचित जनजाति एवं जाति के हितग्राहियों को मौसमी तालाब में स्पान संवर्धन कर मत्स्य बीज उत्पादन योजनान्तर्गत प्रति इकाई रू. 30,000/–की आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2019–20 में 366 हितग्राही लाभान्वित हुए।
- **नाव जाल अथवा जाल क्रय की सुविधा** – राज्य में अनुसूचित जनजातियों के हितग्राहियों को मत्स्याखेट उपकरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वर्ष 2019–20 में 3,151 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।
- **फिंगरलिंग क्रय कर संचयन** – वर्तमान में राज्य के सभी वर्ग के मछुआरों को तालाब में फिंगरलिंग संचयन पर 5 वर्ष में 10,000/–की सहायता दी गयी। वर्ष 2019–20 में 4,466 हितग्राही लाभान्वित हुए।
- **मछुआरों के लिए फुटकर मछली विक्रय योजना** :–सभी संवर्ग के फुटकर मछुआ मत्स्य हितग्राहियों को आईस बॉक्स, तराजू–बॉट, आदि विक्रय उपकरण क्रय हेतु प्रति मछुआरा रू. 6,000/– तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2019–20 में 1,285 हिग्राहियों को सहायता दी गई।
- **मत्स्य प्रजनक बैंक की स्थापना हेतु मत्स्य पालकों को मत्स्य प्रजनकों की आपूर्ति कर आर्थिक सहायता** :–राज्य के मत्स्य बीज उत्पादको को मत्स्य प्रजनन काल के दौरान उन्नत स्वस्थ मत्स्य प्रजनक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मत्स्य पालको को मत्स्य प्रजनक बैंक की स्थापना कर मत्स्य प्रजनक आपूर्ति कर प्रोत्साहन के तौर पर विक्रय राशि का 30 प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में अधिकतम रू. 45/–प्रति किलो ग्राम दिये जाने का प्रावधान है।
- **रोजगार सृजन** :–मत्स्य कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वर्ष 2019–20 में 264.00 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया। वर्ष 2020–21 में माह सितम्बर 2020 तक 22.77 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया।

(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं :–

कार्यक्रम :–मत्स्य कृषक विकास अभिकरण :–प्रदेश में केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत 27 जिला इकाईयों में जिनके माध्यम से 10 वर्ष की अवधि के लिए तालाब पट्टा आबंटन तथा तालाबों में कृषक के व्यय पर मत्स्य बीज संचयन एवं कृषकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

7.25.3 राष्ट्रीय मछुआ कल्याण

- **मत्स्य जीवियों का दुर्घटना बीमा** :– मछली पालन व्यवसाय से जुड़े मत्स्य जीवियों को मत्स्य पालन अथवा मत्स्याखेट के समय दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु निःशुल्क दुर्घटना बीमा योजना क्रियान्वित की गई है। हितग्राही मत्स्य कृषक 18–70 वर्ष आयु वर्ग के ही इस योजना में सम्मिलित किये जाते है। केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा 50–50 प्रतिशत के अनुपात में व्यय भार वहन किया जाता है। योजनान्तर्गत दुर्घटना स्थिति में बीमित हितग्राहियों को अस्थायी अपंगता पर रू. 1,00,000/– तथा स्थाई अपंगता अथवा मृत्यु होने पर उस परिवार के नामित व्यक्ति को रू. 2,00,000/– की आर्थिक सहायता दी जावेगी। वर्ष 2019–20 में 2,20,355 मछुआरों एवं वर्ष 2020–21 में माह सितंबर 2020 तक 2,21,300 मछुआरों का बीमा कराया गया।

- **मत्स्योद्योग प्रशिक्षण एवं विस्तार** :–योजनान्तर्गत केन्द्र शासन तथा राज्य शासन द्वारा 80:20 के अनुपातिक अंशदान से क्रियान्वित है। योजनान्तर्गत मत्स्योद्योग से सम्बधित अमलें तथा मछुआरें प्रभावपूर्ण ढंग से आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक पर आधारित मत्स्यपालन विकास सम्बधी प्रशिक्षण एवं तत्संबधित अधोसंरचना निर्माण (यथा–मत्स्य जागरूकता केन्द्र/मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र/मत्स्य प्रसार पुस्तिकाओं का प्रकाशन/वर्कशाप/सेमीनार/मीटिंग/वृत्तचित्र निर्माण) कार्य क्रियान्वित किया गया है।

(स) केन्द्र क्षेत्र योजनाऍ :–

- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** :–यह योजना वर्ष 2007–08 से राज्य में लागू है । योजना अंतर्गत विभिन्न घटकों के माध्यम से हितग्राहियों निम्नानुसार लाभान्वित किया जा रहा है ।

- **स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण** :–सभी श्रेणी के लघु सीमांत कृषक अनु. जन.जाति महिला कृषकों को प्राथमिकता निर्धारित है। 1 हेक्टेयर जलक्षेत्र निर्माण इकाई लागत रूपये 8.50 लाख पर अधिकतम रूपये 5.10 लाख की सहायता शासन द्वारा दी जाती है।

- **विस्तार सेवाओं का उन्नयन** –राज्य एवं जिला स्तरीय सेमीनार आयोजित किये जाते है।

- **मत्स्याखेट हेतु नाव जाल उपकरण क्रय हेतु आर्थिक सहायता** :– सभी वर्ग मत्स्य पालक समूह जिन्हें दीर्घ अवधि के लिए तालाब/जलाशय पट्टे पर आबंटित किए गए है। ऐसे मत्स्य पालक समूह को नाव जाल क्रय हेतु रू. 25 हजार की सहायता तथा मछुआ सहकारी समिति

को नाव/जाल क्रय हेतु रू. 1.00 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2019–20 में 100 हितग्राहीयों को नाव जाल प्रदाय किया गया।

- **मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धनः**– मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन कराकर कृषक की आय बढ़ाने एवं अतिरिक्त संवर्धन क्षेत्र विकसित करने के लिए रू. 0.30 लाख की सहायता (कृषक अंश 0.10 लाख) दी जाती है। वर्ष 2019–20 में 139 तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन किया गया।

- **तालाबों में अंगुलिका संचयन कार्यक्रमः**– तालाबों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए फ्राई के स्थान पर फिंगरलिंग संचयन करवाने के लिए रू. 0.03 लाख की सहायता दी जाती है।

- **जलाशयों में मत्स्य अंगुलिका संचयन** :– जलाशयों में अंगुलिका को संचयन हेतु 50:50 (शासन एवं हितग्राही) के अंश में शासकीय अनुदान दिया जाता है।

- **जलाशयों में केज कल्वरः**–राज्य के बड़े एवं मध्यम जलाशयों में बैटरी के 48 फ्लोटिंग केज स्थापित कर उनमें तीव्र गति से बढ़ने वाली मत्स्य (पंगेसियस, तिलापिया) का पालन किया जाता है।

- **तालाबों में सीफेक्स वितरण** :– तालाबों में मत्स्य उत्पादकता बढ़ाने हेतु तालाबों में 'सिफेक्स' नामक दवाई डालने हेतु रूपये रू. 0.032 लाख प्रति इकाई सहायता दी जाती है।

- **फुटकर मछली विक्रय योजना** :–वर्ष 2019–20 में फुटकर मछली विक्रय योजना के तहत् प्रति इकाई राशि रू. 6,000/–पर 75 %अनुदान के मान से 2,300 हितग्राहियों को सहायता दी गई है।

- **राष्ट्रीय मात्सयिकी विकास बोर्ड** :–भारत शासन द्वारा गठित राष्ट्रीय मात्स्यिकीय विकास बोर्ड द्वारा शत्–प्रतिशत अनुदान पर मछुआरों के हितार्थ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्ष 2008–09 में इस योजना अंतर्गत निम्नानुसार घटकों के द्वारा मछुआरों को लाभान्वित किया जा रहा है।

- **मात्सयिकी क्षेत्र के लिए डाटाबेस एवं जी.आई.एस.** :– केन्द्र प्रवर्तित योजना अन्तर्गत शत् प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान से उक्त योजना वर्ष 2004–05 से प्रारंभ की गई हैं। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में 24.37 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ जिसमें वर्तमान में प्रदेश के चयनित जिलो यथा – रायपुर, दुर्ग, बालोद, मुंगेली, रायगढ़, जशपुर, सूरजपुर, कोरिया, कांकेर, नारायणपुर एवं कोण्डागांव, में ग्रामीण तालाबों में तथा सभी 27 जिलों में सिंचाई जलाशयों के जलक्षेत्र सर्वेक्षण, मत्स्यपालन सम्बधी आकड़े एकत्रीकरण कर केन्द्र शासन को आंकड़े उपलब्ध कराये जा रहें हैं।

- **मैपिंग ऑफ स्मालर वाटर बॉडीज** :–यह कार्यक्रम 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से राज्य में वर्ष 2014–15 से संचालित है, इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत राज्य के जलक्षेत्रों का रिमोट सेंसिंग तकनीक से सर्वेक्षण कर सभी जलक्षेत्रों की जानकारी एकत्र कर उनका जी.आई.एस. तैयार किया जाना है। वर्तमान में 22 जिले का कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में बस्तर संभाग के 06 जिले का कार्य प्रगति पर है।

- **नीलक्रांति योजना** :–नीलक्रांति योजना भारत शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित, केन्द्र क्षेत्र योजना, कार्यक्रमों को नवीन योजना नीलक्रांति के तहत् समाहित कर नीलक्रांति कार्यक्रमों के घटकों से राज्य में मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रमों के अंतर्गत मत्स्य पालन से जुड़ने वाले सामान्य हितग्राहियों को 40 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितग्प्रहियों को 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

अनुलग्न–7.1

भूमि उपयोग

(हेक्टेयर में)

क्र.	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (p)
1	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	13789836	13789836	13788302	13788302
2	वनों के अर्न्तगत क्षेत्रफल	6317281	1856227	1846828	1849876
3	**कृषि के लिए जो भूमि उपलब्ध नहीं है**				
	अ. गैर कृषि उपयोग में लाई गई भूमि	735488	744717	739026	750203
	ब. ऊसर व गैर–मुस्तकिल भूमि	292655	286740	288118	287265
	उपयोग –3	1028143	1031457	1027144	1037468
4	**पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य अकृष्य भूमि**				
	अ. स्थायी तथा दीगर चरागाह	886819	883033	887314	893044
	ब. विविध झाड़ों के झुण्ड तथा बाग जो बोये हुये क्षेत्र में शामिल नही हैं ।	846	1361	2316	2745
	स. कृषि योग्य बंजर भूमि	362310	364946	365376	366459
	उपयोग –4	1249975	1249340	1255006	1262248
5	**पड़ती भूमि**				
	अ. पड़त भूमि चालू पड़ती के अतिरिक्त	257214	252014	257028	255610
	ब. चालू पड़ती भूमि	273015	289829	264175	290907
	उपयोग –5	530229	541843	521203	546517
6	कुल अकृष्य भूमि पड़ती शामिल कर **उपयोग –4+5**	1780204	1791183	1776209	1808765
7	**शुध्द बोया गया क्षेत्रफल**	4664208	4653495	4681090	4635340
8	एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल	1009212	886744	943232	1099262
9	सकल बोया गया क्षेत्रफल	5673420	5540239	5624322	5734602

स्त्रोत : आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, छत्तीसगढ

अनुलग्न–7.2

छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल तथा उसका वर्गीकरण कृषि वर्षान्त 30 जून, 2020 (P)

(हेक्टेयर में)

क्रमांक	जिला	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	वन	कृषि के लिए जो भूमि उपलब्ध नहीं है		अन्य कृषि भूमि पड़ती को छोंड़कर			पड़ती		फसल का निरा क्षेत्रफल	दुफसलीं क्षेत्रफल	सम्पूर्ण फसलों का कुल क्षेत्रफल
				v&Alj o xSj eqLrfdy Hkwfe	ब–गैर कृषि उपयोग में लाई गई भूमि	कृषि के योग्य बंजर भूमि	मुस्तकिल व दीगर चारागाह	अन्य झाड़ों के झुण्ड तथा बाग जो बोये गये क्षेत्रफल में शामिल	चालू पड़ती	पुरानी पड़ती(2 से 5 साल तक)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	रायपुर	291437	1671	335	48426	21873	35844	93	6546	13097	162283	39926	202209
2	बलौदाबाजार	467697	24611	5704	31403	14587	33165	6	7523	10211	232176	22686	254862
3	गरियाबंद	585494	88030	3656	22992	4709	27858	24	5960	3155	134110	21762	155872
4	महासमुन्द	496301	31055	6144	36953	4928	29958	22	7506	5586	264143	44478	308621
5	धमतरी	408193	8605	2142	31942	3471	19069	12	2522	2306	142095	72489	214584
6	दुर्ग	231999	0	4684	35926	11675	19476	73	5429	8136	146600	60514	207114
7	बालोद	352700	26002	4549	33232	9310	20083	54	5587	5466	176591	69087	245678
8	बेमेतरा	285481	0	11	24871	4421	23390	14	3745	3351	225678	170844	396522
9	राजनांदगांव	802252	99356	17126	51427	15812	53260	243	17843	16931	370509	178274	548783
10	कबीरधाम	444705	25619	9966	16579	2723	28972	67	4353	3412	189182	116271	305453
11	बस्तर	388389	80886	19880	26520	38426	25835	1364	16545	15413	161308	7210	168518
12	कोंडागांव	605073	182437	16319	11654	14932	12310	235	3971	4262	139907	7945	147852
13	नारायणपुर	692268	18287	1654	3145	7746	3768	18	3999	2653	30416	408	30824
14	कांकेर	643268	95261	19162	31758	19814	66601	39	14610	11557	201195	21942	223137
15	दन्तेवाड़ा	341050	33103	27430	12080	28593	4254	0	16496	14258	90221	588	90809
16	सुकमा	580405	143244	11793	24715	48363	24483	57	9810	10163	96974	2652	99626
17	बीजापुर	653762	314532	6493	18758	43018	9019	0	7060	6815	70096	58	70154
18	बिलासपुर	342335	38479	3422	25400	12476	40765	42	7899	7024	173575	24919	198494
19	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	239514	72242	5500	4795	3869	7597	12	4656	3110	63742	3850	67592
20	मुंगेली	275036	1944	230	8405	3288	17668	15	1832	1810	128750	96293	225043
21	जाजगीर	446674	9916	2365	30713	16947	37880	118	5478	6447	257639	14190	271829
22	कोरबा	714544	188625	30934	23932	18665	25632	137	14850	10441	118214	3990	122204
23	रायगढ़	652774	59944	14341	59418	6773	66279	0	16528	20178	261537	29670	291207
24	सरगुजा	502180	113391	5130	26172	0	46233	0	20428	11197	152753	22160	174913
25	बलरामपुर	601634	73675	1637	29624	0	85819	100	19323	16777	153653	25171	178824
26	सूरजपुर	499626	15305	1197	29323	0	52325	0	17299	10188	152883	19125	172008
27	कोरिया	597770	47130	12845	24822	0	33403	0	17251	13991	96978	9945	106923
28	जशपुर	645741	56526	52616	25218	10040	42098	0	25858	17675	242132	12815	254947
	योग	**13788302**	**1849876**	**287265**	**750203**	**366459**	**893044**	**2745**	**290907**	**255610**	**4635340**	**1099262**	**5734602**

स्त्रोत : आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, छत्तीसगढ़

अनुलग्न–7.3

जिलेवार फसलों का कुल तथा शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

क्र.	जिला	कुल क्षेत्रफल			बोया गया क्षेत्रफल		
		2017-18	2018-19	2019-20	2017-18	2018-19	2019-20 (P)
1	कोरिया	107814	106500	106923	97059	96853	96978
2	सरगुजा	178602	175836	174913	155638	155004	152753
3	बलरामपुर	177332	183054	178824	154864	151944	153653
4	सूरजपुर	174087	172681	172008	154010	153605	152883
5	जशपुर	257051	257051	254947	245292	245292	242132
6	रायगढ़	279916	290431	291207	252791	264392	261537
7	कोरबा	134588	130158	122204	127700	125242	118214
8	जांजगीर–चांपा	269343	273348	271829	257262	257232	257639
9	बिलासपुर	251077	253821	198494	223286	225397	173575
10	मुंगेली	213631	207797	225043	128359	128810	128750
11	कबीरधाम (कवर्धा)	266846	279040	305453	185616	187499	189182
12	राजनांदगांव	494466	517075	548783	369090	375436	370509
13	दुर्ग	180887	189114	207114	145598	149431	146600
14	बेमेतरा	345437	361093	396522	225049	225216	225678
15	बालोद	242734	237601	245678	176981	178673	176591
16	रायपुर	195365	194673	202209	161299	162183	162283
17	बलौदा बाजार	254289	262849	254862	229182	232580	232176
18	गरियाबंद	157652	161202	155872	136953	139969	134110
19	महासमुंद	302444	313131	308621	268186	268240	264143
20	धमतरी	210079	213316	214584	144077	144639	142095
21	उत्तर बस्तर (कांकेर)	223722	225209	223137	208127	210461	201195
22	बस्तर	175873	173916	168518	169204	167357	161308
23	कोंडागांव	144563	145847	147852	137797	138180	139907
24	नारायणपुर	32040	32392	30824	31740	32090	30416
25	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	99009	98428	90809	97808	97471	90221
26	सुकमा	105905	102391	99626	105082	101567	96974
27	बीजापुर	65487	66368	70154	65445	66327	70096
28	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	–	–	67592	–	–	63742
	छत्तीसगढ़	**5540239**	**5624322**	**5734602**	**4653495**	**245292**	**4635340**

स्त्रोत : आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, छत्तीसगढ़

अनुलग्न–7.4

प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र

(हजार हेक्टेयर में)

क्र.	फसल	प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र								
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (P)
1.0	**अनाज**									
1.1	धान	3939.9	3982.2	3987.7	4035.7	3959.7	4052.60	3976.63	4140.97	4266.02
1.2	गेहूँ	104.8	102.2	105.0	103.2	105.8	102.1	102.2	99.97	116.27
1.3	ज्वार	5.3	6.2	5.2	5.0	5.4	4.0	3.73	3.08	1.97
1.4	मक्का	107.4	116.8	123.4	125.1	126.4	120.5	119.6	118.2	130.4
1.5	कोदो–कुटकी	121.6	111.1	102.0	91.6	82.8	76.3	68.83	62.81	46.44
1.6	जौ	2.9	2.8	2.7	2.5	1.1	2.1	1.88	1.70	1.79
1.7	छोटे अनाज	37.7	34.5	33.0	30.4	38.1	35.5	29.03	21.05	21.14
2.0	**दालें**									
2.1	चना	250.5	260.2	267.9	289.7	280.9	290.7	335.03	330.93	419.93
2.2	तुअर	54.5	52.9	51.9	52.8	65.1	63.5	63.25	62.78	35.77
2.3	उड़द	107.1	102	98.7	96.9	97	94.4	88.34	82.39	76.06
2.4	मूग–मोठ	16.3	15.4	15.5	15.2	14.9	15.2	11.96	10.73	6.44
2.5	कुल्थी	50.9	48.7	47.6	45.9	44.3	43.7	41.6	38.6	26.3
2.6	लाख (तिवड़ा)	359.2	347.6	331.8	315.2	273.8	263.2	241.2	177.7	188.6
3.0	**गन्ना**	15.4	17.5	23	23.9	30.1	31.4	34.8	43.3	31.2
4.0	**तिलहन**									
4.1	मूँगफली	29.6	28.7	29.4	29.2	29	26.7	25.41	23.65	22.10
4.2	रामतिल	69.4	66.5	66.2	63.6	64.3	60.8	56.32	55.56	36.32
4.3	तिल	20.5	19.7	19.7	17.0	19.5	18.4	17.26	16.57	14.95
4.4	सोयाबीन	95.8	103.2	101.5	107.8	82.2	96.2	91.56	81.56	75.11
4.5	अलसी	37	35.3	32.2	31.2	25.1	21.6	17.76	16.11	13.00
4.6	राई सरसों	50.2	49.2	47	47.5	46.3	40.5	41.42	38.85	35.03

स्त्रोत–आयुक्त भू–अभिलेख, छत्तीसगढ़

अनुलग्न–7.5

प्रमुख फसलों का उत्पादन

(हजार मे टन में)

क्र.	फसल	प्रमुख फसलों का उत्पादन								
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (P)
1.0	**अनाज**									
1.1	धान	9451.2	11772.6	10654.1	11966.6	7731.5	13189.9	8623.5	9762.8	12854.06
1.2	गेहूँ	135.1	143.2	140.8	153.3	142.33	151.08	141.64	446.13	135.89
1.3	ज्वार	4.1	4.5	3.3	4.2	4.36	5.44	4.7	2.81	2.54
1.4	मक्का	177.8	225.1	254.1	235.1	237.74	309.32	306.94	303.60	406.82
1.5	कोदो–कुटकी	22.5	23.7	21.0	20.7	11.93	23.05	14.87	22.23	14.49
1.6	जौ	2.2	1.3	2.4	2.7	0.67	1.88	1.96	1.36	1.09
1.7	छोटे अनाज	10.5	9.7	8.3	8.9	7.87	4.97	5.74	5.76	4.72
2.0	**दालें**									
2.1	चना	260.7	304.9	221.6	311.2	218.8	338.32	331.67	680.03	105.82
2.2	तुअर	23.7	31	29.4	35.1	30.6	39.01	25.74	30.13	22.47
2.3	उड़द	30	31.4	30.0	30.1	28.91	30.57	28.52	26.98	24.84
2.4	मूँगमोठ	3.9	4.2	4.0	4.2	6.56	6.44	4.92	4.85	2.44
2.5	कुल्थी	14.4	14.3	14.1	14.3	15.09	16.37	15.76	14.86	10.25
2.6	लाख (तिवड़ा)	206.8	159.9	174.0	297.9	192.1	222.63	129.79	124.23	60.91
3.0	**गन्ना**	45.4	37.3	23.8	76.1	46.9	109.58	64.21	93.38	69.90
4.0	**तिलहन**									
4.1	मूँगफली	37.9	40.5	42.3	40.8	37.25	46.93	32.112	78.05	33.68
4.2	रामतिल	11.4	11.7	11.6	11.3	10.24	11.39	10.69	10.7	6.89
4.3	तिल	7.6	5.7	4.8	8.0	6.82	7.55	5.19	5.67	6.01
4.4	सोयाबीन	84.6	126.1	111.9	50.1	40.12	76.13	30.31	52.20	83.00
4.5	अलसी	13.6	13.4	11.9	11.2	9.45	10.10	4.57	4.37	4.81
4.6	राई सरसों	21.8	23.9	27.0	24.6	25.96	18.43	18.35	18.96	15.69

स्त्रोत–आयुक्त भू–अभिलेख, छत्तीसगढ़

अनुलग्न — 7.6

प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन

(किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर)

वर्ष	धान	गेहूँ	ज्वार	मक्का	चना	तुअर	सोयाबीन	कपास	गन्ना
1999-2000	2006	1205	844	1548	642	1086	832	249	3000
2000-2001	1482	1022	665	1346	515	429	547	106	2601
2001-2002	2103	1024	965	745	714	374	810	121	2514
2002-2003	1025	1106	740	1305	644	433	550	142	2484
2003-2004	2297	1066	1001	1370	964	603	882	336	2582
2004-2005	1848	889	667	1430	542	510	1017	284	2472
2005-2006	2051	876	682	1078	710	441	895	158	2310
2006-2007	2138	1044	873	1225	843	426	998	287	2546
2007-2008	2177	1098	1019	1562	872	522	1155	232	2485
2008-2009	1797	1027	1188	1404	801	583	977	298	2387
2009-2010	1769	1090	1214	1429	872	522	930	अनुपलब्ध	2405
2010-2011	2529	1174	1432	1817	957	439	1174	283	2448
2011-2012	2523	1278	768	654	995	432	753	240	2696
2012-2013	2955	1401	726	1927	1138	597	1242	141	1622
2013-2014	2672	1341	635	2059	765	557	1038	143	996
2014-2015	2965	1486	840	1879	1061	635	487	-	2615
2015-2016	1953	1345	805	1881	779	470	488	326	2440
2016-2017	2212	1448	1355	2566	1164	615	791	316	4236
2017-18	1446	1332	1339	2566	990	407	331	323	4906
2018-19	1572	1548	990	2568	1044	480	640	249	4477
2019-20 (P)	3013	1169	1403	3119	252	628	1105	310	5371

स्त्रोत : आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, छत्तीसगढ

* भू–अभिलेख द्वारा चावल का उत्पादन दिया गया है जिसको धान में (=Rice*3/2) परिवर्तित किया गया है।

अनुलग्न – 7.7

सिंचाई स्त्रोत अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र

(हेक्टेयर में)

क्र	वर्ष	नहरें	तालाब	कुएँ	नलकूप सहित अन्य साधन	योग
1	1999-2000	802137	60085	40236	175981	1078439
2	2000-2001	677930	54663	39308	212261	984162
3	2001-2002	834737	54944	38955	222645	1151281
4	2002-2003	735061	55447	38871	243431	1072810
5	2003-2004	768759	49707	35611	236410	1090487
6	2004-2005	829987	58032	38952	281099	1208070
7	2005-2006	876039	52611	34724	284916	1248290
8	2006-2007	887577	52089	34853	307766	1282285
9	2007-2008	913825	55770	30666	333704	1333965
10	2008-2009	887059	51206	28275	372673	1339213
11	2009-2010	869701	50398	26790	375903	1322792
12	2010-2011	895112	45605	26092	388442	1355251
13	2011-2012	873089	53669	19686	468084	1414528
14	2012-2013	876670	49226	20413	502728	1449037
15	2013-2014	960033	52079	22296	716660	1751068
16	2014-15	903801	42622	20180	501107	1467710
17	2015-16	889345	42923	20607	523040	1475937
18	2016-17	900895	41322	21081	522465	1485763
19	2017-18	870304	39570	18553	573974	1502401
20	2018-19	898000	29876	15807	621159	1564842
21	2019-20 (P)	878588	28061	15958	620429	1543036

स्त्रोतः– आयुक्त भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, छत्तीसगढ़

अनुलग्न–7.8

छत्तीसगढ़ राज्य में जिलेवार सिंचित क्षेत्रफल कृषि वर्षांत 30 जून 2020 (P)

क्र.	जिला	योग समस्त साधनों से सिंचित क्षेत्रफल		फसलों के निरा क्षेत्रफल से सिचिंत निरा क्षेत्रफल का प्रतिशत	क्षेत्रफल जिसमें वर्ष में एक बार सिंचाई की गई हो	सम्पूर्ण फसलों के क्षेत्रफल से सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत
		कुल	निरा			
1	रायपुर	153740	134074	83%	19666	76%
2	बलौदाबाजार	131455	113518	49%	17937	52%
3	गरियाबंद	64336	45544	34%	18792	41%
4	महासमुन्द	125688	82190	31%	43498	41%
5	धमतरी	158357	102438	72%	55919	74%
6	दुर्ग	146678	107455	73%	39223	71%
7	बालोद	130585	92659	52%	37926	53%
8	बेमेतरा	196123	106752	47%	89371	49%
9	राजनांदगांव	122143	82676	22%	39467	22%
10	कबीरधाम	149927	97781	52%	52146	49%
11	बस्तर	9451	9451	6%	0	6%
12	कोंडागांव	8542	8542	6%	0	6%
13	नारायणपुर	346	346	1%	0	1%
14	कांकेर	38367	38367	19%	0	17%
15	दन्तेवाड़ा	212	212	0%	0	0%
16	सुकमा	855	855	1%	0	1%
17	बीजापुर	3615	3615	5%	0	5%
18	बिलासपुर	107841	90188	52%	17653	54%
19	मुंगेली	97198	78572	61%	18626	43%
20	जाजगीर	222882	205524	80%	17358	82%
21	कोरबा	8488	8488	7%	0	7%
22	सरगुजा	19328	17250	11%	2078	11%
23	बलरामपुर	17992	16512	11%	1480	10%
24	सूरजपुर	17951	15796	10%	2155	10%
25	कोरिया	7953	6739	7%	1214	7%
26	रायगढ़	65656	61283	23%	4373	23%
27	जशपुर	11389	11092	5%	297	4%
28	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	6871	5117	4%	1754	3%
योग राज्य		**2023969**	**1543036**	**33%**	**480933**	**35%**

स्त्रोत : आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, छत्तीसगढ